रजिस्ट्री सं० डी०--(डीएन)--73

REGISTERED NO. D--(DN)--73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 8] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 20, 1982 (फाल्गुन 1, 1903)

No. 8] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 20, 1982 (PHALGUNA 1, 1903)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय स्टेट बैंक

केन्द्रीय कार्यालय

बम्बई, दिनांक 14 जनवरी 1982

सूचना

इसके द्वारा बैंक के स्टाफ में की गयी निम्नलिखित नियुक्ति की अधिसूचना दी जाती है :—

श्री वी० एन० वी० पद्मनाभ राव ने दिनांक 11 जनवरी 1982 से मुख्य महाप्रबन्धक (योजना) केन्द्रीय कार्यालय का पदभार ग्रहण किया ।

दिनांक 16 जनवरी 1982

इसके द्वारा बैंक के स्टाफ में की गयी निम्नलिखित नियुक्ति की अधिसूचना दी जाती है :—

श्री डी० पी० श्रीवास्तव ने दिनांक 11 जनवरी 1982 से मुख्य निरीक्षक, जोनल निरीक्षण कार्यालय, भुवनेश्वर का पदभार ग्रहण किया है ।

रा० प्र० गोयल
उपप्रबन्ध निदेशक
(कार्मिक एवं सेवाएं)

भारतीय चार्टरड प्राप्त लेखाकार संस्थान

नई दिल्ली, दिनांक 28 जनवरी, 1982

(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स)

सं० 8-सी०ए० (33)/81-82—रेगुलेशन 10 (1) की धारा (4) जिसे चार्टर्ड एकाउंटेन्ट्स के रेगुलेशन 1964 के अधिनियम 10 (2) (बी०) के साथ पढ़ा जाय, के अनुसार एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित सदस्यों को कार्य करने का प्रमाण पत्र 1 अगस्त से 1981 रद्द समझा जाएगा क्योंकि उन्होंने वर्ष 1981-82 के लिए कार्य प्रमाण पत्र हेतु वार्षिक शुल्क का भुगतान 31 जुलाई 1981 तक नहीं किया था :—

क्रम सं०	सदस्यता संख्या	नाम एवं पता
1.	9001	श्री पी० राजन्, ए०सी०ए० पी० ओ० बाक्स 1827 दुबई (यू० ए० ई०)

दिनांक 30 जनवरी 1982

सं० 4-सी०ए० (8)/81-82—चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1964 के विनियम 16 के अनुसरण में एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार अधिनियम 1949 की धारा 20 की उपधारा (1) (क) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर में से मृत्यु हो जाने के कारण निम्नलिखित सदस्यों का नाम आगे दी गई तिथि से हटा दिया है :—

क्रम सं०	सदस्यता सं०	नाम एवं पता	दिनांक
1.	404	श्री जय नारायन वैश सी०1/19 माडल टाउन दिल्ली-9	11-12-81
2.	1693	श्री अम्बालाल कालीदास पटेल सी/ओ ए० के० पटेल एण्ड कं० चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स, 176, शोवेल ग्रीन लेन शोवेल ग्रीन, विरमिंघम बी 11 4एच एन०	16-1-81

पी० एस० गोपालकृष्णन
सचिव

कलकत्ता, दिनांक 22 जनवरी 1982

सं० 4-ई० सी०ए० (II)/81-82—चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1964 के विनियम 16 के अनुसरण में एतदद्वारा यह सूचित किया जाता है कि चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार अधिनियम 1949 की धारा 20 उपधारा 1 (क) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर में से मृत्यु हो जाने के कारण निम्नलिखित सदस्यों का नाम उनके आगे दी गई तिथि से हटा दिया है :—

क्र० सं०	सदस्यता सं०	नाम एवं पता	दिनांक]
1.	2	श्री गुरुगोविन्दा बसु, 16/4, गरी- हाट रोड कलकत्ता-700019	7-1-1982
2.	2223	श्री कुंवर आनन्द सिंह, 21,ए०बी० एफ० वैस्मन 1217, मयारिन जिनेवा स्विटजरलैंड	1-5-1981

दिनांक 25 जनवरी 1982

सं० 4-ई०सी०ए० (12)/81-82—चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनयम 1964 के विनयम 16 के अनुसरण में एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार अधिनियम 1949 की धारा 20 उपधारा 1 (क) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर में से मृत्यु हो जाने के कारण निम्नलिखित सदस्यों का नाम उनके आगे दी गई तिथि से हटा दिया है :—

क्रम सं०	सदस्यता सं०	नाम एवं पता	दिनांक
1.	458	श्री सितला चरन सैनगुप्ता 38/1 श्री गोपाल मुल्लिक लेन, कलकत्ता-700012	5-9-1980

पी० एस० गोपालकृष्णन,
सचिव

मद्रास—दिनांक 31 दिसम्बर 1981

(चार्टर्ड एकाऊन्टन्टस)

सं० 8-एस० सी० ए०/11/81-82—रेगुलेशन 10 (1) की धारा (4) जिसे चार्टर्ड एकान्टेन्ट्स के रेगुलेशन 1964 के अधिनियम 10 (2) (बी) के साथ पढ़ा जाए, के अनुसार एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित सदस्यों को कार्य करने का प्रमाण पत्र 1 अगस्त 1981 से रद्द समझा जाएंगे क्योंकि उन्होंने वर्ष 1981-82 के लिए कार्य प्रमाण-पत्र हेतु वार्षिक शुल्क का भुगतान 31 जुलाई 1981 तक नहीं किया :—

क्र० सं०	सदस्यता सं०	नाम एवं पता
1.	7687	श्री वी० कल्याना सुन्दरम्, ए०सी०ए० 41, सोलायाप्पा मुदाली स्ट्रीट, माईलापोरे, मद्रास-600004
2.	19251	श्री के० विरुवादीनाथा पिल्लाई, ए०सी०ए० टी० सी० 23/331, वाली आचालाई त्रिवेन्द्रम-695023
3.	20784	श्री टी० के० गोपालकृष्णन, ए०सी०ए० अमृथा विलास, चेन्डामंगलम पी० ओ० वाया-अल्वाये, केरला

दिनांक 5 जनवरी 1982

सं० 8-एस०सी०ए०/12/81-82—चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1964 के विनियम 10 (1) खण्ड (तीन) के अनुसरण में एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित सदस्यों को जारी किए प्रैक्टिस प्रमाण-पत्र उनके आगे दी गई तिथियों से रद्द कर दिए गए हैं क्योंकि वे अपने प्रैक्टिस प्रमाण-पत्र को रखने के इच्छुक नहीं हैं ।

क्रम० सं०	सदस्यता संख्या	नाम एवं पता	दिनांक
1.	19179	श्री ए० कमाटची, ए०सी०ए० 6, सैलवीजर स्ट्रीट 11, टूटीकोरीन-2,	14-12-81
2.	20065	श्री जी० रघुराज, ए०सी०ए० एकान्टस आफिसर, साऊथ-रन ऑयलस एण्ड एक्सट्रेक्शन लिमिटेड, 108, जे० सी० रोड, बंगलौर-560002,	1-4-81
3.	20539	श्री ए०वी० रंगानाथा, ए०सी० ए० सी०/ओ० अपोजिट ए० श्रीनिवासाचार हाउस सन्दूर-583119	1-4-81
4.	20765	श्री एम० ए० सूर्यना यनन ए० सी०ए० 18, स्टेशन रोड, मम्बालय, मद्रास-600033.	1-4-81
5.	20819	श्री एन० अस्वाथाराम ए०सी० ए० असिस्टेन्ट मनेजर, कर्नाटका स्टेट फाईनेन्सियल कारपोरेशन, शकरायन बिल्डिंग 5 वीं०, फ्लौर, 25 एम० जी० रोड, बंगलौर 560001.	31-7-81
6.	21134	श्री एस० गणसेकरन, ए०सी०ए असिस्टेन्ट मनेजर (एका-उन्टस) चेरन ट्रान्सपोर्ट कार-पोरेशन लिमिटेट (रजिस्टर्ड आफिस) 37, मेट्टूपालायम रोड कोयम्बटूर-641011,	3-12-81
7.	21203	श्री ए० शामसुदीन, ए०सी०ए चिवाक्कुझी हाउस पोनकुन्नुम पी० ओ० कोट्टायाम : जिला	11-12-81

पी० एस० गोपालाकृष्णनन,
सचिव

कानपुर, दिनांक 21 जनवरी 1982

सं० 8-सी०सी०ए० (9) 81-82—रेगुलेशन 10 (1) की धारा (4) जिसे चार्टरड एकाउन्टेन्टस के रेगुलेशन 1964 के अधिनियम 10 (2) (बी) के साथ पढ़ा जाय, के अनुसार एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित सदस्यों को कार्य करने का प्रमाण पत्र 1 अगस्त 1981 से रद्द समझे जाएंगे क्योंकि उन्होंने वर्ष 1981–82 के लिए कार्य प्रमाण-पत्र हेतु वार्षिक शुल्क का भुगतान 31 जुलाई 1981 तक नहीं किया था ।

क्रम सं०	सदस्यता सं०	नाम एवं पता
1.	8057	श्री कैलास प्रसाद, एफ०सी० ए० मेसर्स, मेसर्स के०पी० तुलस्यान एण्ड कं०, चार्टरड एका-उन्टेन्टस, लक्ष्मी निवास चेतगंज वाराणसी ।
2.	70554	श्री गिरिश सरीन, ए०सी०ए० 160, साइकिल मार्केट, झंडेवाला एक्सटेन्सन, नई दिल्ली-55 ।
3.	70691	श्री सी०एल० कुमार, ए०सी०ए०, चार्टरड एकाउन्टट, 7/90, सैक्टर-2 राजिन्दर नगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद ।

पी० एस० गोपालाकृष्णन,
सचिव

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 5 फरवरी 1982

सं० एन०15/13/16/1/77(ए०)यो० एवं वि०—(1)—कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम 1950 के नियम 5 के उपविनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक ने निश्चय किया है कि निम्न अनुसूची में निर्विष्ट क्षेत्रों में वर्ग "क" "ख" तथा "ग" के लिए प्रथम अंशदान एवं प्रथम लाभ अवधियां नियत दिवस 30 जनवरी, 1982 की मध्य रात्रि को बीमा योग्य रोजगार में लगे व्यक्तियों के लिए प्रारम्भ व समाप्त होंगी जैसा कि निम्न सूची में दिया गया है :—

वर्ग	प्रथम अंश दान अवधि		प्रथम लाभ अवधि	
	जिस मध्य रात्रि को प्रारम्भ होती है	जिस मध्य रात्रि को समाप्त होती है	जिस मध्य रात्रि को प्रारम्भ होती है	जिस मध्य रात्रि को समाप्त होती है
क	30-1-82	31-7-82	30-10-82	30-4-83
ख	30-1-82	27-3-82	30-10-82	25-6-83
ग	30-1-82	29-5-82	30-10-82	26-2-83

अनुसूची :—

हरियाणा राज्य के

"जिला सोनीपत के राजस्व ग्राम- बहालगढ़ रोड हद बस्त नं० 80 और जमालपुर ग्राम हदबस्त नं० 173 के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र ।"

सं० एन० 15/13/16/1/77(ए) यो० एवं वि० (2)—कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम 1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 31 जनवरी, 1982 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा हरियाणा कर्मचारी राज्य बीमा नियम 1953 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ हरियाणा राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जायेंगे ।

अर्थात्

"जिला सोनीपत के राजस्व ग्राम बहालगढ़ रोड हदबस्त नं० 80 और जमालपुर ग्राम हदबस्त नं० 173 के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र ।"

सं० एन० 15/13/3/1/78-यो०एवं वि० (1)—कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम 1950 के विनियम 5 के उपविनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक ने निश्चय किया है कि निम्न अनुसूची में निर्दिष्ट क्षेत्रों में वर्ग "क" "ख" तथा "ग" के लिए प्रथम अंशदान एवं प्रथम लाभ अवधियां नियत दिवस 30 जनवरी, 1982 की मध्य रात्रि को बीमा योग्य रोजगार में लगे व्यक्तियों के लिए प्रारम्भ व समाप्त होंगी जैसा कि निम्न सूची में दिया गया है :—

वर्ग	प्रथम अंशदान अवधि		प्रथम लाभ अवधि	
	जिस मध्य रात्रि को प्रारम्भ होती है	जिस मध्य रात्रि को समाप्त होती है	जिस मध्य रात्रि को प्रारम्भ होती है	जिस मध्य रात्रि को समाप्त होती है
क	30-1-82	31-7-82	30-10-82	30-4-83
ख	30-1-82	27-3-82	30-10-82	25-6-83
ग	30-1-82	29-5-82	30-10-82	26-2-83

अनुसूची :—

बिहार राज्य के-

"जिला मुजफ्फरपुर,
राजस्व थाना मुजफ्फरपुर सदर
राजस्व ग्राम, "बेला" के
अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र ।"

सं० एन०-15/13/3/1/78-यो० एवं वि० (2)—कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम 1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 31 जनवरी, 1982 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा बिहार कर्मचारी राज्य बीमा नियम 1951 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ बिहार राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों मे बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जायेंगे ।

अर्थात

"जिला मुजफ्फरपुर,
राजस्व थाना मुजफ्फरपुर सदर
राजस्व ग्राम "बेला" के
अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र ।"

डी० पी० मल्होत्रा, निदेशक
(योजना एवं विकास)

क्षेत्रीय कार्यालय

चण्डीगढ़, दिनांक 5 फरवरी 1982

सं० 12 बी० 34/13/1/79-प्रशासन—भारत सरकार के भाग 3 के खण्ड 4 में दिनांक 28-12-1974 को प्रकाशित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की अधिसूचना संख्या पी०बी० बीमा-2 2(2)/73 (पी०बी०) दिनांक 11-10-1974 का अधिक्रमण करते हुए इसके द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि अध्यक्ष क्षेत्रीय बोर्ड पंजाब ने कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम 1950 के विनियम 10-ए के अधीन अमृतसर (छहरटा सहित) क्षेत्र (जहां कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 का अध्याय 4 व 5 पहले ही लागू है) की स्थानीय समिति का पुनर्गठन किया है । इस समिति में निम्न लिखित सदस्य होंगे तथा यह अधिसूचना जारी होने की तारीख से प्रभावी मानी जायेगी ।

अध्यक्ष :

विनियम 10-ए (1) (ए) के अधीन

1. उपायुक्त (डिप्टी कमिश्नर)
अमृतसर ।

सदस्य

विनियम 10 ए० (1) (बी) के अधीन

2. चिकित्सा अधीक्षक, कमचारी राज्य बीमा अस्पताल, अमृतसर

विनियम 10-ए (1) (सी) के अधीन

3. प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी
पंजाब राज्य कर्मचारी राज्य बीमा योजना
चण्डीगढ़ ।

विनियम 10-ए० (1) (डी०) के अधीन

4. श्री हरिदत्त सिंह मेखी
प्रधान प्रबन्धक मै० ओ० सी० एम० (इंडिया) लि० छहरटा, पंजाब हरियाणा तथा दिल्ली के चेम्बर आफ कामर्स के प्रतिनिधि के रूप में

5. श्री विद्या प्रकाश कपूर
मै० टैक्सटाइल मैन्-यु-फैक्चरर्स एसोसियेशन 4-दीवान-सी-मेहरा रोड, अमृतसर

6. श्री डी० बी० विरमानी,
मै० पंजाब चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडिस्ट्रीज, एसोसिएशन
गांधी गेट, अमृतसर ।

7. श्री मुन्नी लाल खन्ना,
मै० पंजाब टैक्सटाइल मैन्-यु-फैक्चरिंग एसोसीएशन एस० कृष्णा मार्केट कटरा आहलूवालिया, अमृतसर ।

विनियम 10-ए (1) (ई) के अधीन

8. श्री प्रदुमन सिंह महामंत्री
टैक्सटाइल मजदूर एकता यूनियन
(ए० आई० टी० यू० सी०)
पुतली घर, अमृतसर ।

9. श्री जोगिन्द्र पाल सेवक
द्वारा आई एन० टी० यू० सी०
अमृतसर ।

10. श्री आर० एल० बावा, महामंत्री
भारतीय मजदूर संघ, पुतली घर
अमृतसर ।

11. श्री हरदयाल सिंह बावा, महामंत्री
हिन्द मजदूर सभा
हाथी गेट, अमृतसर ।

विनियम 10-ए(1) (एफ) के अधीन

12. प्रबन्धक, स्थानीय कार्यालय
कर्मचारी राज्य बीमा निगम,
अमृतसर ।

—सदस्य सचिव,

सं० 12 बी०/34/13/1/79-प्रशासन—भारत सरकार के गजट के भाग 3 के खण्ड 4 में दिनांक 1-2-75 को प्रकाशित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की अधिसूचना संख्या—पी०बी० बीमा 2 (2) /73 (पी०बी०)दिनांक 3-1-1975 का अधिक्रमण करते हुए इसके द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि अध्यक्ष, क्षेत्रीय बोर्ड पंजाब ने कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम 1950 के विनियम 10-ए के अधीन फगवाड़ा क्षेत्र (जहां कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 का अध्याय 4 व 5 पहले ही लागू है) की स्थानीय समिति का पुनर्गठन किया है । इस समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे तथा यह अधिसूचना जारी होने की तारीख से प्रभावी मानी जायेगी ।

अध्यक्ष

विनियम 10-ए (1) (ए) के अधीन

1. उप मंडल मजिस्ट्रेट, फगवाड़ा ।

सदस्य

विनियम 10-ए (1) (बी०) के अधीन

2. प्रभारी चिकित्सा अधिकारी,
कर्मचारी राज्य बीमा डिस्पेंसरी, फगवाड़ा

विनियम 10-ए (1) सी० के अधीन

3. प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी,
कर्मचारी राज्य बीमा योजना,
पंजाब, चण्डीगढ़ ।

विनियम 10-ए (1) (डी) के अधीन

4. श्री ओ०पी० वर्मा,
कारखाना प्रबन्धक
मै० जगजीत काटन टैक्सटाइल मिल्ज, फगवाड़ा

5. श्री डी० के० बोहरा
मै० मोहिन्द्र स्पिनिंग मिल्ज लि०
होशियारपुर ।

6. स० मेहर सिंह
मै० अजन्ता इलेक्टरीकल्ज,
जी० टी० रोड, फगवाड़ा ।

7. श्री विनोद देव, प्रधान प्रबन्धक
जगजीत शूग्र मिल्ज कम्पनी लि०
फगवाड़ा ।

विनियम 10-ए (1) ई० के अधीन

8. श्री राम शानी महा मंत्री
मेटल मजदूर यूनियन, फगवाड़ा ।

9. श्री सीता राम,
भारतीय मजदूर संघ, भगवाड़ा ।

10. श्री जमैत सिंह पठानीया
जगजीत कपड़ा मिल्ज ट्रेड यूनियन कांग्रेस,
फगवाड़ा ।

11. डा० (कुमारी) लीला सैनी
आई० एन० टी०यू०सी०
होशियारपुर ।

विनियम 10-ए (1)एफ) के अधीन

12. प्रबन्धक स्थानीय कार्यालय
कर्मचारी राज्य बीमा निगम,
फगवाड़ा ।

सदस्य सचिव,

सं० 12-बी०-34/13/1/79-प्रशासन—भारत सरकार के गजट के भाग-3 खण्ड 4 में दिनांक 1-2-75 को प्रकाशित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की अधिसूचना संख्या पी०बी० बीमा 2-2(2) /73 (पी०बी०) दिनांक 3-1-75 का अधि-

क्रमण करते हुए इसके द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि अध्यक्ष, क्षेत्रीय बोर्ड पंजाब ने कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम 1950 के विनियम 10-ए के अधीन जालन्धर क्षेत्र (जहां कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 का अध्याय 4 व 5 पहले ही लागू है) की स्थानीय समिति का पुनर्गठन किया है । इस समिति में निम्नलिखित सदस्य होगें तथा यह अधिसूचना जारी होने की तारीख से प्रभावी मानी जायेगी ।

अध्यक्ष

विनियम 10-ए० (1) (ए) के अधीन

1. उपायुक्त (डिप्टी कमिश्नर)
   जालन्धर ।

सदस्य

विनियम 10-ए० (1) (बी) के अधीन

2. चिकित्सा अधीक्षक
   कर्मचारी राज्य बीमा निगम,
   जालन्धर ।

विनियम 10-ए० (1) (सी) के अधीन

3. प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी,
   कर्मचारी राज्य बीमा योजना,
   पंजाब (चण्डीगढ़)

विनियम 10-ए० (1) (डी) के अधीन

4. श्री वेद प्रकाश नय्यर,
   मै० डीसेन्ट रबड़ इन्डिस्ट्रीज,
   बस्ती शेख रोड, जालन्धर ।
5. स० मेहर सिंह प्रधान,
   जालन्धर इन्जीनियरिंग फेडरेशन,
   द्वारा खालसा इन्जीनियरिंग वर्क्स,
   प्रीति नगर, जालन्धर ।
6. स० एम० एस० सचदेवा, महामंत्री
   मैनयुफैक्चर एण्ड इम्पलायरस एसोसिएशन,
   जालन्धर शहर ।

विनियम 10-ए० (1) (ई) के अधीन

7. श्री ए० पी० मेय्यर, प्रधान
   पंजाब फैक्टरी वरकर्ज एसोसीएशन (रजि०)
   नेहरू गार्डन रोड, जालन्धर ।
8. श्री जे० एस० भल्ला, महामंत्री
   आई० एन०टी०यू०सी० मजदूर कांउसेल,
   जालन्धर ।
9. श्री राम लुभाया शर्मा,
   महामंत्री, भारतीय मजदूर संघ,
   जालन्धर ।
10. कामरेड ओम प्रकाश, महामंत्री
    जिला मैटल मजदूर यूनियन,
    जालन्धर ।
11. श्री आर० पी० वेदी,
    द्वारा जनरल मैटल एण्ड इंजिनियरिंग वर्क्स,
    जालन्धर ।

विनियम 10-ए० (1) (एफ) के अधीन

12. प्रबन्धक,
    स्थानीय कार्यालय,
    कर्मचारी राज्य बीमा निगम,
    जालन्धर । सदस्य सचिव

सं० 12-बी०/34/13/1/79-प्रशासन—भारत सरकार के गजट के भाग-3 के खण्ड-4 में दिनांक 1-2-75 को प्रकाशित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की अधिसूचना संख्या: पी०बी बीमा 2-2 (2)/73 (पी०बी०) दिनांक 3-1-75 का अधिक्रमण करते हुए इसके द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि अध्यक्ष, क्षेत्रीय बोर्ड पंजाब ने कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम 1950 के विनियम 10-ए० के अधीन बटाला क्षेत्र (जहां कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 का अध्याय 4 व 5 पहले ही लागू है) की स्थानीय समिति का पुनर्गठन किया है । इस समिति में निम्नलिखित सदस्य होगें तथा यह अधिसूचना जारी होने की तारीख से प्रभावी मानी जायेगी ।

अध्यक्ष,

विनियम 10-ए० (1) (ए) के अधीन

1. उप मण्डल मजिस्ट्रेट,
   बटाला ।

सदस्य

विनियम 10-ए (1) (बी) के अधीन

2. प्रभारी चिकित्सा अधिकारी,
   कर्मचारी राज्य बीमा डिस्पेंसरी,
   बटाला ।

विनियम 10-ए० (1) (सी) के अधीन

3. प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी,
   कर्मचारी राज्य बीमा योजना,
   पंजाब चण्डीगढ़ ।

विनियम 10-ए० (1) (डी) के अधीन

4. श्री जोगिन्द्र वेदी,
   मै० फैन्स टू मशीन टूल्ज,
   इन्डस्ट्रियल एरिया, बटाला ।
5. श्री वेद प्रकाश शर्मा,
   मै० कुमार इन्डिस्ट्रीज कम्पनी,
   बटाला ।
6. श्री वी० पी० मोदगिल,
   मै० मोदगिल कम्पनी, जी० टी० रोड,
   बटाला, ।

7. श्री अरुण चन्द्र,
प्रशासनिक अधिकारी,
मै० न्यू इगरटन वर्क्स मिल्ज,
धारीवाल ।

विनियम 10-ए० (1) (ई) के अधीन

8. श्री करतार सिंह,
आयरन एण्ड स्टील वरकर्ज यूनियन
(ए०आई०टी०यू०सी०)
बटाला ।

9. श्री कुन्दन सिंह क्लर्क,
जिला मेटल कारखाना वरकर्ज यूनियन
(ए० आई० टी०यू० सी०) बटाला ।

10. श्री राम लुभाया बाबा,
महा मंत्री, भारतीय मजदूर संघ
बटाला ।

11. श्री बालक राम चमन,
द्वारा आई० एन० टी०यू०सी०
अमृतसर ।

विनियम 10-ए० (1) (एफ) के अधीन

12. प्रबन्धक, स्थानीय कार्यालय,
कर्मचारी राज्य बीमा निगम,
बटाला । सदस्य सचिव

सं० 12-बी०/34/13/1/79-प्रशासन—कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम 1950 की विनियम 10-ए के अन्तर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए अध्यक्ष, क्षेत्रीय बोर्ड, पंजाब ने पटियाला क्षेत्र (जहां कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 का अध्याय 4 तथा 5 पहले ही लागू है) के लिए एक स्थानीय समिति का गठन किया है । इस समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे तथा यह अधिसूचना जारी होने की तारीख से प्रभावी मानी जायेगी ।

अध्यक्ष

विनियम 10 ए० (1) (ए) के अधीन

1. उपायुक्त (डिप्टी कमिश्नर)
पटियाला ।

सदस्य

विनियम 10-ए० (1) (बी) के अधीन

2. प्रभारी चिकित्सा अधिकारी,
कर्मचारी राज्य बीमा डिस्पेंसरी,
पटियाला ।

विनियम 10-ए० (1) (सी) के अधीन

3. प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी,
कर्मचारी राज्य बीमा योजना, पंजाब
चण्डीगढ़ ।

विनियम 10-ए० (1) (डी) के अधीन

4. श्री सी० पी० एस० नरुला
डिवीजनल पर्सनल मनेजर,
मै० एसकार्टस लि० बहादुरगढ़
पटियाला ।

5. श्री सज्जन कुमार भारगोरया
उप प्रधान मै० भारत कामर्स एंड इन्डिस्ट्रीज लि०
राजपुरा ।

6. श्री एम० एम० भण्डारी
म० गुरु नानक मैटल वर्क्स
प्रबन्धक हिन्दुस्तान वायर प्रोडक्टस (लि०)
पटियाला ।

7. श्री ओ० एम० सोलंकी, पर्सनल मनेजर
नैशनल फरटेलायजर (लि०) भटिण्डा ।

विनियम 10-ए० (1) (ई) के अधीन

8. ज्ञानी तेजन्दर सिंह महा मंत्री
ट्रेड यूनियन कांउसेल,
पटियाला ।

9. श्री बलदेव कृष्ण शर्मा
महा मंत्री भारतीय मजदूर सं
पटियाला ।

10. श्री रामदास, महा मंत्री
ट्रेड यूनियन कांउसेल,
भटिण्डा ।

11. श्री प्रीतम दास, महा मंत्री
जिला मोटर ट्रांसपोर्ट वरकर्ज यनियन
कोटकपूरा ।

विनियम 10-ए० (1) (एफ) के अधीन

12. प्रबन्धक, स्थानीय कार्यालय
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
पटियाला । सदस्य सचिव

सं० 12-बी० 34/13/1/79-प्रशासन—कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 10-ए के अन्तर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए अध्यक्ष, क्षेत्रीय बोर्ड पंजाब ने अबोहर क्षेत्र (जहां कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 का और अध्याय 4 तथा 5 पहले ही लागू है) के लिए एक स्थानीय समिति का गठन किया है । इस समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे तथा यह अधिसूचना जारी होने की तारीख से प्रभावी मानी जायेगी ।

अध्यक्ष

विनियम 10-ए (1) (ए) के अधीन

1. उप मंडल मजिस्ट्रेट, अबोहर

सदस्य

विनियम 10-ए० (1) (बी) के अधीन

2. प्रभारी चिकित्सा अधिकारी,
कर्मचारी राज्य बीमा डिस्पेंसरी, अबोहर ।

विनियम 10-ए० (1) (सी) के अधीन

3. प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी,
कर्मचारी राज्य बीमा योजना, पंजाब
चण्डीगढ़ ।

विनियम 10-ए० (1) (डी) के अधीन

4. श्री आर० के० टण्डन, प्रबन्धक
मैं० भिवानी काटन मिल्ज, इन्डिस्ट्रीज लि०
अबोहर ।

5. कार्यकारी अभियन्ता,
पंजाब राज्य बिजली बोर्ड, अबोहर ।

6. श्री एन० के० छज्जर,
प्रधान, श्री भिवानी काटन टैक्सटाइल मिल्ज,
अबोहर ।

विनियम 10-ए० (1) (ई) के अधीन

7. श्री ओमे शंकर, महामंत्री
मैं० भिवानी काटन मिल्ज, कर्मचारी यूनियन,
अबोहर ।

8. श्री बनिया लाल चौपड़ा
प्रधान, काटन मिल्ज मजदूर यूनियन (आई०एम०टी०यू०
सी०)
अबोहर ।

9. श्री शेर सिंह, प्रधान
काटन मिल्ज लेबर यूनियन (सी०आई०टी०यू०)
अबोहर ।

विनियम 10-ए० (1) (एफ) के अधीन

10. प्रबन्धक, स्थानीय कार्यालय,
कर्मचारी राज्य बीमा निगम,
अबोहर । सदस्य सचिव

सं० 12 बी०/34/13/1/79-प्रशासन—कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम 1950 के विनियम 10-ए के अन्तर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए अध्यक्ष, क्षेत्रीय बोर्ड पंजाब ने गोबिन्द गढ़ क्षेत्र (जहां कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 का अध्याय 4 तथा 5 पहले ही लागू है) के लिए एक स्थानीय समिति का गठन किया है । इस समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे तथा यह अधिसूचना जारी होने की तारीख से प्रभावी मानी जायेगी ।

अध्यक्ष

विनियम 10-ए (1) (ए) के अधीन

1. उप-मंडल मजिस्ट्रेट अमलोह ।

सदस्य

विनियम 10-ए (1) (बी) के अधीन

2. प्रभारी चिकित्सा अधिकारी
कर्मचारी राज्य बीमा डिस्पेंसरी,
गोबिन्दगढ़ ।

विनियम 10-ए० (1) (सी) के अधीन

3. प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी,
कर्मचारी राज्य बीमा योजना
पंजाब, चण्डीगढ़ ।

विनियम 10-ए० (1) (डी) के अधीन

4. श्री बलराम सूरज
मैसर्स गुरु नानक मेटल वर्क्स, गुरु की नगरी
गोबिन्दगढ़ ।

5. स० कृपाल सिंह खालसा,
मैसर्स गुरु रामदास आयरन स्टील रोलिंग मिल्ज,
मण्डी गोबिन्दगढ़ ।

6. श्री नन्द कुमार गुप्ता
मसर्स जय इन्डिस्ट्रीज, जी०टी०रोड,
गोबिन्दगढ़ ।

7. श्री बनारसी दास
मसर्स बनारसी दास, रामजीदास,
आयरन एंड रोलिंग मिल्ज
अमलोह रोड, मण्डी गोबिन्दगढ़ ।

विनियम 10-ए० (1) (ई) के अधीन

8. श्री बलकार सिंह टांगसमेन
मैसर्स सुरेन्द्र स्टील रोलिंग मिल्ज,
मण्डी गोबिन्दगढ़ ।

9. श्री लक्ष्मण सिंह
ए० आई०टी०यू० सी० गोबिन्दगढ़ ।

10. श्री तरसेम लाल, महामंत्री
ए० आई०टी०यू०सी० गोबिन्दगढ़ ।

11. श्री रमेश कुमार टांगसमेन
मैसर्स हंसा स्टील्ज, मण्डी गोबिन्दगढ़ ।

विनियम 10-ए० (1) (एफ) के अधीन

12. प्रबन्धक, स्थानीय कार्यालय,
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
मंडी गोबिन्दगढ़ । सदस्य सचिव

के० एस० सेठी
क्षेत्रीय निदेशक के
आदेश से

भारतीय डाक-तार विभाग

डाक-तार महानिदेशक का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक फरवरी 1982

सूचना

सं० 25-1/82 एल०आई०—निम्नलिखित डाक जीवन बीमा पालिसी विभाग के संरक्षण से गुम हो गई है । यह सूचित किया जाता है कि उक्त पालिसी को भुगतान रोक दिया गया है । निदेशक, डाक जीवन बीमा, कलकत्ता को बीमेदारों के नाम पालिसी की दूसरी प्रति जारी करने के लिए प्राधिकृत कर दिया गया है । जनता को सावधान किया जाता है कि मूल पालिसी के संबन्ध में वे कोई लेन-देन न करें :—

क्रमांक	पालिसी नं०	बीमेदार का नाम	राशि
			रु०
1.	122115-पी दिनांक 4-1-67	श्री के राजागोपाल	4000/-

एम० आर ईसरानी
निदेशक
(डाक जीवन बीमा)

एयर इंडिया

एयर इंडिया कर्मचारी सेवा (संशोधित) विनियम 1982

प्र० का०/100-53(सी०)—एयर कार्पोरेशन अधिनियम, 1953 (1953 का 27) की धारा 45 और धारा 8 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा केन्द्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन लेने के बाद, एयर-इंडिया ने "एयर-इंडिया कर्मचारी सेवा विनियम" में संशोधन करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाये है, वे हैं :—

1. (1) इन विनियमों को एयर-इंडिया कर्मचारी सेवा (संशोधित) विनियम 1982 कहा जाएगा ।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगें ।

2. एअर-इंडिया कर्मचारी सेवा विनियम, 1963 में विनियम 46 के उप-विनियम (ii) में निम्नलिखित "टिप्पणी" की तरह जोड़ा जाएगा—

"टिप्पणी—इस विनियम के प्रयोजन के लिए, कार्पोरेशन में कार्यग्रहण करने के पहले केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार, रक्षा सेवा, सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाले अथवा नियंत्रित उपक्रमों, स्वायत संगठनों और अन्य सरकारी एजेन्सियों में लगातार काम करने को, "निरन्तर सेवा" माना जाएगा, परन्तु शर्त यह है कि, उपरोक्त संस्थाओं से छोड़ी गई सेवा और कार्पोरेशन में कार्यग्रहण करने की तिथि के बीच में व्यवधान न हो । इस विनियम के प्रयोजन के लिए, सरकार और अन्य ऊपरिलिखित एजेन्सियों से सेवा की समाप्ति तथा कार्पोरेशन में कार्य ग्रहण करने की तिथि के बीच की अवधि, यदि केन्द्रीय सरकार के स्थानान्तरण नियमों के अन्तर्गत, नया पद-भार ग्रहण करने के लिए दिए गए सामान्य समय से अधिक न हो तो, ऐसी बीच की अवधि "व्यवधान" नहीं मानी जाएगी ।"

3. कथित विनियमों के अन्तर्गत विनियम 49-ग में निम्नलिखित "उपबन्ध" जोड़ा जाएगा :—

"वे कर्मचारी जो सेवा विनियम 46 (ii) में दी गई "टिप्पणी" में परिभाषित "निरन्तर सेवा" के अनुसार, कारपोरेशन में उपदान के पात्र हैं, उनके मामले में देय उपदान की राशि की गणना सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा इस कार्पोरेशन को प्रदान की गई सेवा के वर्तमान में पूरे किए गए वर्षों के अनुसार निर्धारित की जाएगी ।"

एस० नारायणस्वामी
सचिव

छावनी बोर्ड, खास योल, छावनी

खास योल छावनी, दिनांक 11 जनवरी, 1982

सं० एस० आर०ओ०के०वाई०/जी०/8/4/14—चूंकि छावनी बोर्ड, खास योल के निर्माण कार्यों को कार्यान्वित करने हेतु सांविदाकारों के पंजीकरण तथा वर्गीकरण को विनियमित करने के लिए कुछ प्रारूप उप-नियमों का एक सार्वजनिक नोटिस जैसा कि छावनी अधिनियम 1924 (1924 का 2) की धारा 284 की उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित है, उक्त नोटिस के प्रकाशन की तिथि से तीस दिनों की अवधि के भीतर आपत्तियां तथा सुझाव आमन्त्रित करने हेतु, छावनी बोर्ड, खास योल के नोटिस सं० के० वाई०/जी०/8/4/14 दिनांक 27 फरवरी, 1980 को प्रकाशित किया गया था और चूंकि उक्त अवधि के भीतर उपर्युक्त छावनी बोर्ड द्वारा कोई आपत्तियां एवं सुझाव प्राप्त नहीं किये गए थे ।

और चूंकि केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रारूप उप-नियमों को विधिवत अनुमोदित तथा पुष्ट कर दिया है जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 284 की उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित है ।

इसलिए अब उक्त अधिनियमों की धारा 282 के खंड 39 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छावनी बोर्ड

खास योल निम्नलिखित उप-नियम बनाने की घोषणा करता है नामत :

1. संक्षिप्त शीर्ष तथा प्रारम्भ :—(1) ये उप-नियम खास योल छावनी (संविदाकारों के पंजीकरण एवं वर्गीकरण) उप-नियम 1980 कहलाए जाएं ।

2. ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे ।

2. संविदाकारों का पंजीकरण :—कोई भी संविदाकार तब तक छावनी बोर्ड खास योल के अधीन निर्माण कार्यों निष्पादित के लिए तब तक निविदा भेजने का हकदार नहीं होगा जब तक कि उसका नाम छावनी बोर्ड, खास योल, के कार्यालय में संधारित रजिस्टर में अनुमोदित संविदाकार के रूप में विधिवत रूप में इन्दराज नही किया गया हो ।

3. निर्माण कार्यों के लिए निविदा का हकदार :— कोई भी व्यक्ति जिसे छावनी बोर्ड ने अनुमोदित संविदाकारों के रजिस्टर में उसका नाम सम्मिलित करना स्वीकृत कर दिया हो तथा जिसने इस विषय में उप-नियम 5 में निर्धारित राशि छावनी बोर्ड में जमा करवा दी हो, छावनी बोर्ड के अनुमोदित संविदाकार के रूप में अपना नाम पंजीकृत करवा सकता है ।

4. संविदाकारों का वर्गीकरण :—छावनी बोर्ड, खास योल के अनुमोदित संविदाकारों की सूची, उनकी वित्तीय स्थिति तथा अनुभव पर निर्भर होकर, निम्नलिखित दो वर्गों में बांटी जाएगी, नामत :

वर्ग क :—इसमें वे संविदाकार सम्मिलित होगें जो सभी निर्माण कार्यों की निविदा देने के हकदार होगें ।

वर्ग ख :—इसमें वे संविदाकार सम्मिलित होगें जो उन निर्माण कार्यों की निविदा देने के हकदार होगें जिन की अनुमानित लागत 10,000/-रु० से अधिक न हो ।

5. पंजीकरण के धरोहर राशि :—(1) इससे पहले कि उसका नाम अनुमोदित संविदाकारों की सूची में सम्मिलित किया जाय, वर्ग 'क' में प्रत्येक संविदाकार 100/-रु० की तथा वर्ग 'ख' में 50/-रु० की प्रत्यर्पणीय राशि जमा करवाएगा ।

2. उक्त राशि केवल तभी वापिस लौटाई जाएगी जब संविदाकार का नाम अपने अनुरोध पर लिखित रूप में सूची से हटा दिया जाय ।

3. किसी संविदाकार की मृत्यु हो जाने की स्थिति में ऐसी राशि उसके वैध उत्तराधिकारियों को प्रतिदेय होगी ।

4. इस प्रकार जमा करवाई गई राशि छावनी बोर्ड के विवेक पर जब्त की जा सकेगी यदि उसने एक वर्ष से अधिक समय तक निर्माण कार्यों के लिए निविदा न दी हो बशर्ते कि जमा की गई राशि को जब्त करने से पहले संविदाकार को नोटिस जारी करने की तिथि से तीस दिनों की अवधि के भीतर कारण बताने का अवसर दिया जाएगा कि धरोहर राशि को जब्त करने के आदेश क्यों न कर दिये जाएं ।

6. पेशगी राशि :—(1) कोई भी अनुमोदित संविदाकार जोकि छावनी बोर्ड, खास योल के अधीन संविदाओं के लिए निविदा देता है, अपनी निविदा के साथ निर्धारित द्वारा संभाले गए कार्य की लागत के 2 प्रतिशत के बराबर पेशगी राशि जमा करवाएगा ।

बशर्ते कि 1000/-रु० से कम कार्यों के लिए कोई पेशगी राशि अपेक्षित नहीं होगी ।

2. वे संविदाकार जिनकी निविदाएं उक्त छावनी बोर्ड, खास योल द्वारा स्वीकार नहीं की जाती है पेशगी राशि को वापस लेने के हकदार होगें ।

7. संविदा अनुबन्ध पत्र तथा प्रतिभूति धरोहर :—

दिए गए कार्य को शुरू करने से पहले सफल निविदिक से निम्नलिखित उपेक्षित होगा :—

(i) छावनी बोर्ड, खास योल से उपेक्षित मूल्य के नानज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर उक्त छावनी बोर्ड द्वारा निर्धारित शर्तों पर उसे दिए गए कार्य को कार्यान्वित करने हेतु स्वयं में आबद्ध करने का एक संविदा अनुबन्ध पत्र निष्पन्न करना ।

(ii) उक्त छावनी बोर्ड को अनुबन्ध के उचित पालन हेतु प्रतिभूति के लिये निर्माण कार्यों की अनुमानित लागत के 10 प्रतिशत के बराबर नकद धरोहर राशि प्रस्तुत करना ।

(iii) अनुबन्ध के उचित पालन हेतु प्रतिभूति के लिये उक्त नकद धरोहर राशि, केवल कार्यों के संतोषजनक ढंग से पूर्ण होने के छः महिनों के भीतर प्रत्यर्पणीय होगी, बशर्ते कि कार्य छावनी अधिशासी अधिकारी खास योल द्वारा संतोषजनक प्रमाणित किया गया हो ।

8. परिशिष्ट उपबन्ध :—छावनी बोर्ड, खास योल किसी भी संविदाकार का नाम अनुमोदित संविदाकारों की सूची में सम्मिलित करने से पहले ऐसी अन्य शर्तें लगाने की छूट होगी जैसा कि उक्त छावनी बोर्ड उपयुक्त समझे तथा जो कि इस सम्बन्ध में मिलिट्री इन्जीनियर सर्विस तथा लोक निर्माण विभागों में प्रचलित पद्धति के अनुरूप हो ।

फाइल सं० 12/13/सी०/एल० व सी०/79

यू० एस०परमार
छावनी अधिशासी अधिकारी

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़

सामान्य खाते एवं तुलन पत्र

लेखा विवरण 1980-81

आय एवं व्यय खाता वर्ष 1979-80

व्यय	वास्तविक आंकड़े 1979-80		आय	वास्तविक आंकड़े 1979-80	
	रु०	रु०		रु०	रु०
	अनुरक्षण		अनुदान खाता		
1. प्रशासन			1. सदस्यता एवं अनुदान		
(i) वेतन	56,25,042		ए० नियोजन से आय		3,05,947
(ii) अन्य प्रभार	10,97,513		बी० अनुदान		
(iii) सामान्य सेवाएँ तथा विविध प्रभार	48,87,345		विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	7,30,00,000	
		1,16,09,900	राज्य प्रशासन	2,62,000	
2. शैक्षिक विभाग					7,32,62,000
ए० संकाय			2. छात्रों से प्राप्त शुल्क		
(i) वेतन	2,38,37,888		शैक्षिक	12,59,391	
(ii) अन्य प्रभार	26,57,603		परीक्षा	3,49,797	
		2,64,95,491	अन्य शुल्क	1,33,805	
बी० महाविद्यालय					17,42,993
(i) वेतन	28,21,414		3. छात्रावास	..	5,65,618
(ii) अन्य प्रभार	4,21,338		4. भवनों भूमि एवं सम्पत्तियों से आय		
		32,42,752	भवन	4,76,749	
सी० सामान्य शिक्षा केन्द्र			भूमि एवं	36,555	
(i) वेतन	2,14,789		उद्यान	99,767	
(ii) अन्य प्रभार	1,07,484				6,13,071
		3,22,273	5. प्रकाशन	..	21,271
3. परिक्षायें			6. अन्य विभाग		
(i) वेतन	1,67,673		भवन निर्माण विभाग	2,539	
(ii) अन्य प्रभार	19,15,762		सम्पत्ति विभाग	5,173	
		20,83,435			7,712
4. एम० ऐ० पुस्तकालय			7. विद्युत विभाग (सहायक सेवाएँ)		
(i) वेतन	11,59,019		विद्युत प्रदाय सेवाएँ	..	30,84,466
(ii) अन्य प्रभार	19,50,051		8. प्रकीर्ण	..	1,81,120
		31,09,070	9. विद्यालय		
5. छात्रों की सुविधाएँ			छात्रों से प्राप्त शुल्क	1,96,800	
(i) वेतन	6,27,399		छात्रावास	15,056	
(ii) अन्य प्रभार	2,51,754		प्रकीर्ण	634	
		8,79,153			2,12,490
6. अधिछात्रवृत्तियां, छात्रवृत्तियां आदि					
(i) अधिछात्रवृत्तियां	1,79,349		योग--मुख्य विश्वविद्यालय		7,99,96,688
(ii) छात्रवृत्तियां	8,33,991				
(iii) छात्रवृत्ति	51,778				
(iv) अन्य छात्रवृत्तियां	23,484				
		10,88,602			

आय एवं व्यय खाता

व्यय	वास्तविक आंकड़े 1979-80		आय	वास्तविक आंकड़े 1979-80	
	रु०	रु०		रु०	रु०
		अनुरक्षण	अनुदान खाता		
7. छात्रावास			10. आयुविज्ञान महाविद्यालय चिकित्सालय		
(i) वेतन . . .	52,15,631		प्रकीर्ण प्राप्तियां . . .		68,569
(ii) अन्य प्रभार . . .	2,44,858				
		54,60,489			
8. प्रशासन					
(i) वेतन . . .	1,12,687				
(ii) अन्य प्रभार . . .	44,346				
		1,57,033			
9. अन्य विभाग					
(i) वेतन . . .	32,76,363				
(ii) अन्य प्रभार . . .	38,05,774				
		70,82,137			
10. सहायक सेवाएं					
विद्युत विभाग					
(i) वेतन . . .	8,21,907				
(ii) अन्य प्रभार . . .	29,39,901				
		37,61,808			
11 प्रकीर्ण					
(i) अवकाश वेतन . .	21,40,212				
(ii) अन्य प्रभार . . .	19,09,844				
		40,50,056			
12. स्कूल					
(i) वेतन . . .	28,80,216				
(ii) अन्य प्रभार . . .	1,93,574				
		30,73,790			
13 भविष्य निधि एवं निवृत्ति वेतन . . .	--	13,44,783			
योग--मुख्य विश्वविद्यालय		7,37,60,772			
14. आयुविज्ञान महाविद्यालय चिकित्सालय					
(i) वेतन . . .	40,65,733				
(ii) अन्य प्रभार . . .	13,36,216				
		54,01,949			
महा योग		7,91,62,721			
व्यय से आय की अधिकता		9,02,536			
योग--अनुरक्षण अनुदान खाता		8,00,65,257	महायोग		8,00,65,257

ह० (एम० अफीक अहमद)
सहायक लेखा अधिकारी (लेखा)
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़

ह० (सुरेन्द्र पाल)
वित्त अधिकारी
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़

आय एवं व्यय खाता

व्यय	वास्तविक आंकड़े 1979-80		आय	वास्तविक आंकड़े 1979-80	
	रु०	रु०		रु०	रु०
		(ब) विकास	अनुदान खाता		
I पंचम संयोजित योजनाएँ			I विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से पंचम योजना हेतु सहायक अनुदान	5,02,533	
उच्च शिक्षा एवं शोध विकास			II विशेष विकास योजनाएँ	6,01,747	
शैक्षिक विभाग			III प्रकीर्ण योजनाओं हेतु सहायक अनुदान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा भारत शासन	5,85,871	
वेतन एवं भत्ते	6,35,335		योग—आय		16,90,151
अन्य प्रभार	1,04,166		अधिक व्यय		1,88,914
		7,39,501			
II विशेष विकास योजनाएँ					
वेतन एवं भत्ते	(--) 6,698				
अन्य प्रभार	87,039				
छात्रवृत्ति एवं अधिष्ठान वृत्तियां	3,04,719				
		3,85,060			
III तृतीय योजनागत विकास योजनाएँ					
वेतन एवं भत्ते	51,848				
अन्य प्रभार	1,81,965				
		2,33,813			
IV प्रकीर्ण योजनाएं					
विश्वविद्यालय स्तर पर पुस्तकों की रचना	2,000				
शिक्षकों की वित्तीय सहायता	8,110				
सेवा निवृत्त शिक्षकों को सेवाओं का उपयोग	73,419				
विचार गोष्ठी परिसंवाद तथा सम्मेलन	17,025				
शिक्षकों को यात्रा अनुदान	(--) 79				
अनिर्दिष्ट अनुदान	92,602				
अन्य योजनाएँ	3,27,614				
		5,20,691			
		18,79,065	योग		18,79,065

ह० (एम० शफीक अहमद)
सहायक लेखा अधिकारी
ए० एम० यू० अलीगढ़

ह० सुरेन्द्र पाल
वित्त अधिकारी
ए० एम० यू० अलीगढ़

तुलन पत्र 31 मार्च 1980

दायित्व	धन राशि	धन राशि	परिसंपत्ति	धनराशि	धनराशि
	रु०	रु०		रु०	रु०
सामान्य खाता			विनियोजन		
स्थाई संदान निधि			विविध नियोजन (विनियोग)		
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम 1920 ई० के नियम 40 की धारा 7 के अंतर्गत लगाए धन का पूंजीकृत मूल्य		30,00,000	राजकीय प्रतिभूतियां	63,98,798	
स्थाई आरक्षित निधि			सावधि निक्षेप	1,96,84,969	
हस्तांतरित अवशेषों तथा दान का पूंजीकृत मूल्य		20,00,000			2,60,83,767
विशेष चल आरक्षित निधि			भवन		8,74,65,926
दान आदि का पूंजीकृत मूल्य		10,39,052	उपकरण		4,06,26,435
चल आरक्षित निधि			उपस्कर		42,05,473
दान का पूंजीकृत मूल्य एवं अनुदान		3,76,554	पुस्तक		82,29,809
न्यास निधि			सामान्य खाते		
दान का पूंजीकृत मूल्य	5,99,676		प्रकीर्ण अग्रिम तथा विकलन अवशेष		
निधि की अविनियोजित ब्याज का अवशेष	2,08,010		आय व्यय खाते में न्यूनता		
		8,07,686	संचित न्यूनता	9,30,450	
			अधिकता	5,20,942	4,09,508
प्रकीर्ण न्यास			स्थाई अग्रिम		49,197
अवमूल्यन निधि	2,25,056		छात्र सहायतार्थ निधि		16,239
भवन निधि	1,23,25,534		अन्य देय		1,82,297
अभियांत्रिक महाविद्यालय निधि	9,43,845		अन्तर निधि अग्रिम		54,69,156
महिला महाविद्यालय निधि	23,560		निलम्बित प्रव्यादियां		7,88,362
		1,35,17,995			
प्राकीर्ण आरक्षण एवं आकलन शेष			विकास अनुदान खाता		
उन कर्मचारियों का जिन्होंने निवृत्त वेतन का विकल्प लिया है उनकी भविष्य निधि की साख पर विश्व विद्यालय अंशदान		41,04,748	निम्न पर अधिक व्यय		
राष्ट्रीय सेवा योजना		18,122	(i) शोध छात्र वृत्तियां तथा बालिका पालिटेकनिक की छात्रवृत्तियां	12,82 828	
निलम्बित खाता		5,323	(ii) यूनानी औषधि में अनुसंधान तिब्बिया कालेज	26,984	
प्राकीर्ण अवशेष (विवरण 4 का आलग्नक)		1,37,514	(iii) साहित्यक अनुसंधान ए० के० तिब्बिया कालेज	23,602	
स्टाफ के वेतनमान के पुनरीक्षण हेतु अनुदान		5,67,241	(iv) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमें इलमुल अदविया तिब्बिया कालेज	26,329	
अनिवार्य बचत योजना		50,613			13,59,743
अनिवार्य सामूहिक बचत योजना		24,272	विकास अनुदान खाते में न्यूनता		5,77,292
इतिहास की पुस्तकों के प्रकाशन हेतु 'अमत निधि'		74,752			

विकास अनुदान खाता

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से पूंजीगत अनुदान

भवन	6,29,70,145	
पुस्तकें	80,95,902	
उपकरण	4,00,36,751	
उपस्कर	41,64,438	
		11,52,67,236
छात्रवृत्ति एवं अधिछात्रवृत्ति अनुदान		
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	13,92,248	
भारत सरकार, आई० सी० एम० आर० इत्यादि	4,50,680	
		18,42,928
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुदान		
विद्यालय के उपकरण क्रय करने हेतु अनुदान	4,467	
मोबाइल केयर यूनिट	33,528	
पोस्ट पार्टम योजना	9,709	
		47,704
निलम्बित प्राप्तियां, निलम्बित खाते, (विवरण 4 के अनुसार)		11,71,923
अन्तर निधि अग्रिम		27,18,394

निक्षेप खाता

सरकार तथा अन्य ऐजन्सीज द्वारा अनुदान

फोर्ड फाउन्डेशन	21,94,321	
कुवैत सरकार	1,00,000	
इसलामिक गणतंत्र ईरान	1,13,000	
शाह सउद अनुदान	1,69,977	
जम्मू कश्मीर शासन का अनुदान	6,96,820	
लीबयन दूतावास का अनुदान	20,000	
		32,94,118
प्रकीर्ण अनुदान एवं निक्षेप		
(i) पी० एल० 480 कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान	1,06,044	
(ii) जमानतों का निक्षेप खाता	8,46,562	
(iii) प्राकिर्ण आकलन अवशेष (विवरण 4 के अनुसार)	7,00,985	
(iv) उपकुलपति निधि	9,41,424	
(v) अध्यापक सहायतार्थ निधि	3,526	
(vi) मनेरिया योजना हवाई विश्वविद्यालय के सहयोग से	46,122	
		26,44,663

निक्षेप खाता

जम्मू कश्मीर सरकार अनुदान		
व्यय की अधिकता		
(i) शोध छात्र वृत्तियां हिन्दी तथा उर्दू विभाग में	12,713	
(ii) प्रांगण में छात्रावास निर्माण हेतु अनुदान	4,945	
		17,658
ऋण तथा अग्रिम विवरण 4 के अनुलग्नक के अनुसार		15,48,437
भविष्य निधि खाता		
गृह निर्माण हेतु अग्रिम		54,31,169
आयुर्विज्ञान महाविद्यालय निधि		
अन्तर निधि अग्रिम		1,59,063
आयुर्विज्ञान अध्ययन हेतु अग्रिम		7,040
स्वर्ण जयन्ती निधि		
आय व्यय खाते में संचित मूल्य न्यूनता		10,281
अंतिम रोकड़ अवशेष		
सामान्य खाता		
स्टेट बैंक आफ इंडिया (करांची)		731
एम० यू० विकास अनुदान खाता		
स्टेट बैंक आफ इंडिया (अलीगढ़)		26,52,879
एम० यू० निक्षेप खाता		
स्टेट बैंक आफ इंडिया (अलीगढ़)	17,59,179	
सिंडीकेट बैंक मु० यू० शाखा	31,500	
		17,90,679
एम० यू० भविष्य निधि खाता		
स्टेट बैंक आफ इंडिया (अलीगढ़)	14,07,575	
इलाहाबाद बैंक (एम० यू० शाखा अलीगढ़)	32,108	
डाकघर	46,67,706	
		61,07,389

तुलन पत्र 31 मार्च 1980

दायित्व	धन राशि	धन राशि	परिसंपत्ति	धनराशि	धन राशि
	रु०	रु०		रु०	रु०
गृह निर्माण अग्रिम हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अमत निधि की स्थापना हेतु अनुदान		4,00,000	एम० शफीद अहमद सहायक लेखा अधिकारी एम० यू० अलीगढ़		
अन्तर निधि अग्रिम		13,64,013	आयुर्विज्ञान महाविद्यालय निधि		
भविष्य निधि खाता			स्टेट बैंक आफ इंडिया, अलीगढ़		13,391
भविष्य निधि		2,67,73,217	डा० वली मुहम्मद वक्फ		
अन्तर निधि अग्रिम		14,12,084	स्टेट बैंक आफ इंडिया, अलीगढ़		43,771
वापसी हेतु प्रत्याप्तियां		24,811	स्वर्ण जयन्ती		
आयुर्विज्ञान महाविद्यालय निधि			स्टेट बैंक आफ इन्डिया		1,738
दानों का पूंजीकृत मूल्य		60,92,324	शेख जैद पेट्रोलियम इन्स्टीट्यूट		
डा० वली मौहम्मद वक्फ संदान			सिंडीकेट बैंक (ए० एम० यू०)		35,570
दानों का पूंजीकृत मूल्य	1,82,000		स्थाई इस्लामिक मोलीडेरिटी निधि		
आय से व्यय की अधिकता	28,620	2,10,620	सिंडीकेट बैंक एम० यू० शाखा]		6,897
स्वर्ण जयन्ती			बीबी फातिमा वक्फ		
दानो का पूंजीकृत मूल्य		1,20,305	स्टेट बैंक आफ इंडिया		2,067
शेख जैद पेट्रोलियम इन्स्टीट्यूट					
शेख जैद के दान का पंजीकृत मूल्य	17,07,348				
आय व्यय खाते के अनुसार आय की अधिकता	35,570	17,42,918			
ग्रामीण विकास निधि]					
स्थाई स्लामिक मोलीडेरिटी निधि के दान का पूंजीकृत मूल्य	1,62,206				
आय की अधिकता के अनुसार आय व्यय खाते	6,897	1,69,103			
बीबी फातिमा वक्फ					
केन्द्रीय वक्फ परिषद से प्राप्त ऋण का पूंजीकृत मूल्य	1,00,000				
आय व्यय खाते के अनुसार आय की अधिकता	2,067				
		1,02,067			
भारतीय स्टेट बैंक को संदान अर्थशास्त्र में चेयर की स्थापना हेतु पूंजीकृत मूल्य		5,40,000			
अंतिम रोकड़ अवशेष					
एम० यू० सामान्य निधि खाता		56,29,664			
		19,72,91,964			19,72,91,964

ह० सुरेन्द्रपाल
वित्त अधिकारी
एम० यू० अलीगढ़

बैंक समाधान विवरण 31 मार्च 1980

	मु० वि० निधि खाता	विकास अनुदान खाता	मु० वि० भविष्य निधि खाता	मु० वि० निक्षेप खाता	आयुर्विज्ञान महाविद्यालय खाता
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
खातों के अनुसार अवशेष	(+) 56,29,664	(+) 26,52,879	(+) 14,07,575	(+) 17,59,179	(+) 13,391
कटौती					
पारगमन में प्रेषित धन	(--) 15,62,559	(--) 21,79,741	(--) 13,72,323	(--) 10,17,424	..
बैंक द्वारा अशुद्ध अवर्णीकृत विकलन	(--) 9,73,015	(--) 2,24,282	(--) 3,4884	(--) 2,34,899	..
योग	(—) 81,65,238	(+) 2,48,856	(+) 31,764	(+) 5,06,856	(+) 13,391
जमा					
बिना भुगतान के धनादेश	(+) 87,15,921	(+) 26,33,192	(+) 4,44,373	(+) 1,92,865	
बैंक द्वारा अवर्णीकृत आकलन	(+) 23,97,921	(+) 68,500	(+) 2,667	(+) 1,22,484	
बैंक विवरण के अनुसार अवशेष	(+) 29,48,604	(+) 29,50,548	(+) 4,78,804	(+) 8,22,205	(+) 13,391

ह० सैं० शफीक अहमद
सहायक लेखा अधिकारी

लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र

मैंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के 31 मार्च 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखाओं और तुलनपत्र की जांच कर ली है। मैंने सम्पूर्ण अपेक्षित सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं और संलग्न लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित टिप्पणियों के अधीन अपनी लेखा परीक्षा के परिणामस्वरूप मैं प्रमाणित करता हूं कि मेरी राय में और मुझे प्रस्तुत की गयी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की बहियों में प्रदर्शित लेखों के अनुसार ये लेखे और तुलनपत्र उपयुक्त रूप से तैयार किए गए हैं और यह विश्वविद्यालय के कार्य कलाप का सही और उचित रूप प्रस्तुत करते हैं।

ह० (ए० एन० बिश्वास),
महालेखाकार-प्रथम
[उत्तर प्रदेश

इलाहाबाद
दिनांक 31 जुलाई 1981

महालेखाकार, उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के 1979-80 के लेखाओं का लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन

प्रस्तावना

वर्ष 1979-80 के दौरान विश्वविद्यालय को वित्तीय सहायता मुख्यतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त हुई। (730.00 लाख रुपये) विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु इसे भारत सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से 76.93 लाख रुपए प्राप्त हुए। इससे अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सरकार से 2.62 लाख रुपए प्राप्त हुए। स्थायी प्रभार अन्य निवेशन, भूमि एवं भवन, चिकित्सा विद्यालय, अस्पताल से प्राप्तियां, शैक्षणिक शुल्क, छात्रावास, विद्यार्थियों से प्राप्त वसूलियों को राजस्व प्राप्ति के अधीन वर्णीकृत किया गया है, जिसकी कुल राशि 1979-80 के दौरान 68.04 लाख रु० थी। 1978-79 वर्ष के आंकड़ों के साथ 1979-80 वर्ष की प्राप्ति और भुगतान का मोटे तौर पर विश्लेषण निम्नांकित है :—

प्राप्ति	राशि (लाख रुपयों में)				भुगतान	राशि (लाख रुपयों में)			
	1978-79		1979-80			1978-79		1979-80	
परिसंपत्ति			धनराशि		धनराशि				
1. प्राप्त अनुदान					1. पूंजी				
(1) विश्वविद्यालय					(1) उपकरण	100.49		24.85	
आयोग से अनुदान	629.79		730.00		(2) भवन	29.79		54.12	
(2) राज्य सरकार से	2.62	632.41	2.62	732.62	(3) किताबें	6.13		8.83	
2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं भारत सरकार से विभिन्न योजनाओं हेतु प्राप्त अनुदान					(4) उपस्कार	3.52	139.93	2.31	90.11
					2. राजस्व व्यय (वेतन भत्ते एवं सामान्य व्यय)		370.99		448.31
(1) आवर्तक	12.31		16.90		(3) शैक्षणिक व्यय		73.68		72.46
2) अनावर्तक	100.76	113.07	60.03	76.93	(4) छात्रावास		50.73		54.60

31 मार्च 1980			रु०		रु०
3. आय			(5) चिकित्सा विद्यालय		
(1) धर्मादा एवं निर्वंशन	8.20	3.06	अस्पताल	50.11	54.02
(2) भूमि भवन से	4.86	6.13	(6) शिक्षा वृत्ति एवं		
(3) शैक्षणिक प्राप्त	19.01	19.55	छात्रवृत्ति	10.39	10.89
(4) छात्रावास प्राप्ति	5.36	5.66	(7) विकास अनुदान	33.34	18.79
(5) मेडिकल कालेज अस्पताल प्राप्ति	5.46	0.69	(8) विविध व्यय	130.21	137.90
(6) विविध प्राप्ति	29.33	32.95	(9) भविष्य निधि एवं पेंशन	13.62	13.45
प्राप्ति से अधिक व्यय					
पूंजीगत	39.17	30.08			
विकास	21.03	1.89			
	60.20	31.97			
रख-रखाव	(--)4.90 55.30	(--)9.03 22.94			
	873.00	900.53		873.00	900.53

वर्ष 1979-80 के दौरान किये गये 22.94 लाख रुपये का अधिव्यय, गत वर्षों के एकत्र उपयुक्त बची हुई अनुदान राशि से वहन किया गया।

वर्ष 1979-80 अवधि में वेतन एवं भत्तों के व्यय में पर्याप्त बढ़ोत्तरी के निम्नांकित कारण विश्वविद्यालय ने बतलाये (जनवरी 1981), वार्षिक वृद्धियों का जमाव, अतिरिक्त महंगाई भत्ते का भुगतान, पांचवे योजनागत पदों के व्यय का पहली अप्रैल 1979 से आयोजनेतर बजट में विलय आदि ।

2. वार्षिक लेखा पर अध्युक्तियां

2.1 31 मार्च 1980 तक बैंक मिलान से पता चलता है कि विश्वविद्यालय रोकड़ किताब की और बैंक की राशि 221.46 लाख रुपए का अन्तर है। 1978-79 लेखा परीक्षा आख्या के पैरा 5.1 में पहले ही कहा जा चुका है कि सन् 1959-60 के बाद से बकाया डेबिट/क्रेडिट मदों को अब तक लेखा हिसाब में नहीं लिया गया है। उनका विश्वविद्यालय द्वारा मिलान नहीं हुआ है (जनवरी 1981)

विश्वविद्यालय ने बतलाया (मई 1981) कि 158.99 लाख रुपए के अन्तर का मिलान किया जा चुका है और शेष के मिलान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

2.2 वर्ष 1978-79 की समीक्षा पूरी न होने के कारण, 1979-80 के भविष्य निधि लेखे की जांच आन्तरिक लेखा परीक्षा नहीं की गयी। वर्ष 1978-79 की लेखा परीक्षा आख्या के पैरा 5.2 में उल्लिखित तथ्यों के अतिरिक्त यह देखा गया कि :--

(1) अंशदाता के लेखे में तालिका के बजाय वेतन पूंजी से प्रविष्टियां की जा रही थी, क्योंकि तालिकाएं बनाई ही नहीं जाती थी। फलतः करीब एक साल पूर्व जब तीन वेतन पूंजियां इधर उधर हो गई अंशदाताओं के भविष्य निधि लेने में प्रविष्टियों का काम पूरा नहीं किया जा सका।

(2) कटौतियों, निक्षेपों, प्रत्यर्पणों को व्यक्तिगत लेखा खाता में दर्ज करने का काम अधिकांश मामलों में अपूर्ण था। 1978-79 वर्ष के लेखे का समापन नहीं किया गया क्योंकि कि लोगों के व्यक्तिगत लेखे खाते में ब्याज दर लगाने का काम इस वर्ष विश्वविद्यालय द्वारा नहीं किया गया। वर्ष 1977-78 के कुछ लेखा खाते वर्ष 1978-79 के अधिकांश लेखा खातों का समापन. अंशदायों के लेखे में उपलब्ध राशि पर सूद लगा कर नहीं किया गया। विश्वविद्यालय ने बतलाया (जनवरी 1981) कि गत वर्षों के लेखा कार्य के अपूर्ण रह जाने का कारण नगर की अशान्त स्थिति थी जिससे चलते कार्य की प्रगति में बाधा पड़ी। विश्वविद्यालय द्वारा आगे बतलाया गया (मई 1981) कि वर्ष 1979-80 का अंश दाताओं के लेखे को अन्तिम स्वरूप प्रदान किया जा रहा है।

3 अनुदान का उपयोग

ब्लाक अनुदानों के अलावा, विश्वविद्यालय विशिष्ट उद्देश्यों के लिए भारत सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अन्य स्रोतों से अनुदान प्राप्त करता रहा है। इन अनुदानों में से 31 मार्च 1979 तक कुछ विशिष्ट उद्देश्यों के लिए दी गयी अनुदान राशि से 82.781 लाख रुपये बिना उपयोग के पड़े रह गए, जब कि दूसरी ओर अन्य विशिष्ट उद्देश्य हेतु दी गयी अनुदान राशि से 68.50 लाख रुपए का अधिक व्यय कर दिया गया। वर्ष 1979-80 में कुल 809.55 लाख रुपए की अनुदान राशि प्राप्त हुई। (1978-79 के दौरान प्राप्त अनुदान राशि से यह राशि 64.07 लाख रुपए अधिक थी) वर्ष 1979-80 के अन्त में, बिना उपयोग में लायी गयी कुल 61.40 लाख रुपए की राशि पड़ी रह गयी। पूंजी 38.98 लाख रुपए एवं राजस्व 22.42 लाख) रुपए और अनुदान की प्रत्याशा में 79.08 लाख रुपए अधिक राशि व्यय किए गए, जब कि अनुदान देने वाले प्राधिकरण से उपर्युक्त राशि के पुनर्भुगतान हेतु कोई पूर्व प्रति श्रुति सुनिश्चित नहीं की गई थी।

विश्वविद्यालय ने पहले की भांति बतलाया (जनवरी 1981) पड़ी रह गई अधिकांश अनुदान राशि का परवर्ती वर्ष में उपयोग कर लिया गया है।

प्राप्त संस्वीकृतियों के आधार पर अधिक व्यय किया गया है, जिनके मिलने पर उनका सम्मंजन हो जायेगा। 1980-81 वर्ष की अवधि में उक्त राशि की मांग की गई है। तथापि नमूना जांच से पता चला है कि 58 अनुदानों की कुल राशि 72.50 लाख रुपए से 8.40 लाख रुपए अधिक व्यय किये गए हैं, जिनकी वसूली कम से कम गत तीन वर्षों से नहीं हुई है। इन अनुदानों की मद में वर्ष 1977-78 एवं 1978-79 में कोई प्राप्ति अथवा भुगतान नहीं हुआ

इसी प्रकार 126 अनुदानों कुल राशि 193.54 लाख रुपए में से 3.43 लाख रुपए की राशि बिना उपयोग पड़ी रह गयी, जिसका गत वर्षों में प्रत्यर्पण अथवा सम्मजन नहीं हुआ।

4. अग्रिम एवं बकाया वेय

4.1 विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के अधिकारियों को खरीद आकस्मिक व्यय व्यक्तिगत ऋण आदि के मद में कुल 4858 मामलों में 174.07 लाख रुपयों का अस्थाई ऋण दिया गया। यह ऋण 1961-62 से 1979-80 के दौरान दिया गया, जिसका समंजन अभी होना है। इन ऋणों में 2072 ऋण की कुल राशि 50.17 लाख रुपये, तीन वर्ष से अधिक अवधि का पुराना ऋण है।

विश्वविद्यालय ने सूचित किया (मई 1981) कि 28 मार्च 1981 तक, 1979-80 में दिये गए अस्थाई ऋणों की बकाया संख्या एवं राशि घटकर 4091 एवं 145.76 लाख रुपए रह गयी।

4.2 फरवरी 1970 में कर्मचारियों के लिए भवन निर्माण अग्रिम की योजना शुरू की गयी। जैसा कि पहले ही 1978-79 की लेखा परीक्षा आख्या पैरा 6.1 में अंकित है। इस प्रकार के ऋणों का हिसाब रखने के लिये कोई अभिलेख निर्धारित नहीं किया गया। ऋण लेने वालों के खाते अपूर्ण थे और 1975-76 से बाटशीट न तो तैयार किये गये थे ना ही सत्यापित (प्रूफ) किये गये।

इस लेखा-के नमूने की जांच से निम्नलिखित बातों का पता चलता है :--

(1) 475 कर्जदारों में से गृह निर्माण अग्रिम का भुगतान किए गए केवल आठ कर्जदारों ने अपने निवासों को बीमाकृत कराया था। विश्वविद्यालय ने (जनवरी 1981) सूचित किया कि अन्य बीमेदारों के अधिकार प्रदान करने के लिए नियमावली में संशोधन विचाराधीन है क्योंकि भारतीय जीवन बीमा निगम जो नियमानुसार बीमेदार है, इस कार्य को करने में असहमति व्यक्त किया।

(2) वसूलियों पर दृष्टि रखने के लिए निर्धारित बही खाते (Ledger) एवं बाउशीट अपूर्ण थे। परिणाम स्वरूप यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि समय से एवं नियमित रूप से वसूलियां प्रत्येक मामले में की जा रही थी और वसूलियों में कोई बकाया नहीं था।

(3) 78 मामलों में जिन पर रू० 7.40 लाख अग्रिम कर्मचारियों को वर्ष 1971-72 से 1979-80 की अवधि के दौरान भुगतान किये गए थे, जिन्होंने या तो तैयार मकानों को खरीदने के लिए अथवा नये मकानों का निर्माण करने के लिए अग्रिम लिया था। किन्तु उस उद्देश्य के लिए अग्रिमों का उपयोग नहीं किया था जिसके लिए वे प्रदान किए गए थे। गलती करने वालों कर्जदारों से किस्तों में वसूली के आदेश दिए गए थे यद्यपि करारों बन्धक पत्रों में चूक करने के मामले पर एक मुश्त का प्रावधान किया गया है।

विश्वविद्यालय ने (जनवरी 1981) में बताया कि वर्तमान कमी को दूर करने के लिए तथा प्रक्रिया को सरल एवं कारगर बनाने के लिए कदम उठाए गये।

4.3 बकाया शुल्क वर्ष 1968-69 की पूर्व अवधि से संबंधित रु० 1.82 लाख की फीस जिसे विद्यार्थियों को देना था तथा जिसका उल्लेख वर्ष 1976-77, 1978-79 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट में किया गया था, अभी तक (जनवरी 1981) बकाया पड़ी थी। आगे वर्ष 1968-69 से 1979-80 की अवधि में रु० 8.88 लाख की राशि अप्राप्य शुल्कों के रूप में विद्यार्थियों से बारह आवासीय विशाल कक्षों (Halls) में से सात कक्षों के शुल्क के रूप (पांच विशाल कक्षों के आंकड़े उपलब्ध नहीं किए थे) में एकत्र हो गयी थी। विद्यार्थियों से वसूल की जाने वाली तथा कर्मचारियों से वसूली के लिए देय मकानों के किराये (quarters) के रूप में कर्मचारियों रु० 10.70 लाख के अतिरिक्त (चूंकि अभिलेख अपूर्ण थे अतः राशि को सुनिश्चित नहीं किया जा सका) लगभग रु० 1.56 लाख के देय जिनका विवरण नीचे दिया गया है, 31 मार्च 1980 तक जमा हो गये थे और 31 दिसम्बर 1980 को वसूली की प्रतीक्षा में थे।

देयों की प्रकृति	अवधि	राशि (रु० लाखों में)
वसूल होने वाले विद्युत देय		
(1) कर्मचारी	1965-66 से 1979-80	0.54
(2) बाहरी व्यक्तियों से	1971-72 से 1979-80	0.29
उधार बेची गई पुस्तकों का मूल्य	1979-80	0.12
बाहरी उपभोक्ताओं को दी गई संगणक (कम्प्युटर) सेवाओं का मूल्य	जुलाई, 1978 से अक्टूबर 1979 तक	0.09
गेहूं एवं अन्य भूमि तथा उद्यान उत्पादनों की उधार बिक्री	1979-80 तक	0.07
कर्मचारियों एवं सरकारी विभागों को जारी की गई सीमेंट का मूल्य	1974-75 से 1979-80	0.30
खोई पुस्तकों का मूल्य तथा अर्थ दंड	1979-80	0.04
दुकानदारों से किराया	1979-80 तक	0.05
अवकाश प्राप्त कर्मचारियों द्वारा अनधिकृत रूप से कब्जा किए हुए मकानों का किराया	-वही-	0.06
	योग	1.56

विश्वविद्यालय ने (जनवरी 1981) बताया कि जैसे नवम्बर 1980 में निश्चित किया कि रु० 1.82 लाख के बकाया शुल्क को बट्टे खाते में डाल दिया जाएगा क्योंकि यह पता चला कि इन देयों के लिए जमा किया गया धन गलत वर्गीकृत हो गया है और शेष बकाया (रु० 10.44 लाख) देयों को वसूल करने हेतु प्रयत्न किए जा रहे थे। तथापि कर्मचारियों से किराया वसूलों के विषय में स्थिति से अवगत नहीं किया गया था।

5. वस्तुगत सत्यापन

5.1 नियमावली में कम से कम वर्ष में एक बार भंडारी के वस्तुगत सत्यापन का प्रावधान है। वर्ष 1979-80 में, तथापि 134 विभागों में से 22 विभागों द्वारा इस प्रकार के वस्तुगत सत्यापन को संचालित किया था। वर्ष 1977-78 एवं 1978-79 के दौरान भी क्रमशः 20 एवं 7 विभागों के सम्बन्ध में वस्तुगत सत्यापन किया गया था।

विश्वविद्यालय ने (मई 1981) बताया कि वर्ष 1977-78, 1978-79 एवं 1979-80 में क्रमशः 16, 17 एवं 19 विभागों के वस्तुगत सत्यापन की और रिपोर्ट भी प्राप्त हुई थी।

5.2 वर्ष 1966-67 एवं 1967-68 में 24 विभागीय पुस्तकालयों एवं केन्द्रीय पुस्तकालय की पुस्तकों के भंडार (Stock) के वस्तुगत सत्यापन से 3,858 पुस्तकों की कमी का पता चला जिसमें 197 पुस्तकों का बाद में पता चल गया था और 15,868 रु० मूल्य की 1,560 पुस्तकों को कार्यकारी परिषद को 27 दिसम्बर एवं 20 नवम्बर 1978 को अपनी बैठक में बट्टे खाते में डाल दिया गया था। विश्वविद्यालय ने (मई 1981) सूचित किया कि शेष 2101 पुस्तकों में से 23 और पुस्तकों का पता चल गया है और 858 पुस्तकों को पुस्तकालय समिति द्वारा बट्टे खाते में डालने के लिए संस्तुत किया गया था। 1220 पुस्तकों का बट्टे खाते में डालना (मई 1981) अभी तक प्रतीक्षित है।

5.3 केन्द्रीय पुस्तकालय की पुस्तकों के वर्ष 1968-69, 1969-70 एवं 1971-72 में किए गए वस्तुगत सत्यापन से निम्नांकित पुस्तकों की कमियों/हानियों का पता चला :—

वर्ष	कम खोई हुई पुस्तकें
1968-69	766
1969-70	463
1971-72	474
योग	1,703

(जनवरी 1981) में बताया गया था कि इन 1,703 पुस्तकों में से 353 पुस्तकों का पता लग गया था और शेष 1,350 पुस्तकें जिनका मूल्य रु० 0.19 लाख है वे कम/गुम पाई गईं। केन्द्रीय पुस्तकालय की पुस्तकों का वर्ष 1971-72 से कोई भंडार परीक्षण नहीं किया गया था।

5.4 वर्ष 1972-73, 1973-74 एवं 1974-75 में 21 विभागीय पुस्तकालयों में से 9 का वस्तुगत सत्यापन करने पर 1,143 पुस्तकों के कम/गुम होने का पता चला था। मौलाना आजाद पुस्तकालय द्वारा इन पुस्तकों का मूल्य नहीं बताया जा सका था। अभी तक (जनवरी, 1981) न तो हानियों की वसूली की गई थी और न बट्टे खाते में डाला गया था। उसके बाद पुस्तकों के भंडार का वस्तुगत सत्यापन नहीं किया गया था। शेष 15 विभागीय पुस्तकालयों के सम्बन्धन में वर्ष 1968-69 से पुस्तकों का भंडार परीक्षण नहीं किया गया था।

विश्वविद्यालय ने (मई 1981) बताया कि केन्द्रीय पुस्तकालय का भंडार सत्यापन नहीं किया जा सका क्योंकि विगत अनेक वर्षों के दौरान पुस्तकालय लगभग 12 घंटे प्रति दिन खुला रखा जाता रहा किन्तु कुछ विभागीय पुस्तकालयों में भंडार सत्यापन का कार्य प्रगति पर था।

6. निर्माण कार्य

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वीकृत की गई आकलित धनराशि की प्राप्ति व श्रेणी गत दर से निविदाएं आमंत्रित करने के उपरान्त निम्नलिखित कार्य सम्पन्न कराने हेतु विभिन्न ठेकेदारों को सौंप गये :—

निर्माण कार्य	स्वीकृति को आकलित राशि (रु० लाख की संख्या में)	निविदा की राशि (रु० लाख की संख्या में)	कार्य आरंभ की तिथि	कार्य पूरा होने की निर्धारित तिथि	कार्य पूरा करने की वास्तविक तिथि	मूल्य वृद्धि के फलस्वरूप बढ़ाई गई धनराशि (रु० लाख की संख्या में)	जितनी धन राशि बढ़ाई गई (रु० लाख की संख्या में)
1. सुलभ आवास योजना के अन्तर्गत शिक्षक वर्ग के लिए प्रथम श्रेणी के (आवास गृह) का निर्माण	37.59	33.20	10 जनवरी 1979	9 अक्तूबर 1980	प्रगति में	40.94	7.74
2. जीवन विज्ञान विभाग हेतु पशुगृह एवं क्षेत्र निरीक्षण भवन	1.54	1.36	24 मार्च 1979	अक्तूबर 1979	दिसम्बर 1980 तक लगभग पूर्ण	1.55	0.19
3. मलजल निर्यास योजना में तत्सम्बन्धित दमकल यंत्रों से रख-रखाव हेतु दो गोदाम	0.48	0.61	8 मार्च 1979	सितम्बर 1979	प्रगति में	0.68	0.07
4. पश्चिमी एशिया से संबंधित अध्ययन केन्द्र	3.41	3.56 3.33 (नागरिक कार्य)	21 जुलाई 1979	20 मई 1980	प्रगति में	3.83 (असैनिक निर्माण कार्य)	0.50 (15 प्रतिशत)
5. सांख्यिकी विभाग का भवन	4.10	3.76 3.48	7 मार्च 1979	31 मई 1980	प्रगति में	4.35 (नागरिक कार्य)	0.87 (25 प्रतिशत)
6. 144 छात्रावास	15.23	11.07	3 अगस्त 1978	29 फरवरी 1980	30 अप्रैल 1980	12.59 (नागरिक कार्य)	1.52
							10.89

उपर्युक्त सभी कार्य सम्पन्न कराने के दौरान भवन निर्माण की सामग्रियों के मूल्य में असमान्य वृद्धि तथा नगर में मई 1979 से अगस्त 1979 तक व्याप्त अशांति के फलस्वरूप ठेकेदारों ने बढ़े हुए दर से धन राशि की मांग की यद्यपि अनुबन्ध में विशेष रूप से उप विधान किया गया था कि बाजार की स्थितियों के परिवर्तन पर किन्हीं भी परिस्थितियों में ध्यान नहीं दिया जाएगा तथापि विश्वविद्यालय ने अगस्त व नवम्बर, 1979 में तथा मार्च, 1980 में ठेकेदारों की दर वृद्धि की मांग पर विचार किया और अगस्त, 1979 के पश्चात् उपयोग में लाई गयी वस्तुओं का निम्नलिखित रूप से बढ़े हुए दर पर अनुमति प्रदान की :—

क्रम संख्या 1, 2 और 3 के निर्माण कार्यों के लिए	अक्तूबर 1979 में आमंत्रित की गई समान स्तरीय कार्यों की निविदाओं में सम्मिलित दरों के अनुसार दरों में वृद्धि की गई।
क्रम संख्या 4, 5 और 6	दरों में क्रमश: 15,25 और 35 प्रतिशत की वृद्धि की गई

अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंघन करके निविदाओं में वर्णित व स्वीकृत दरों में वृद्धि किए जाने के फलस्वरूप उक्त 6 निर्माण कार्यों में 10.89 लाख रुपयों का ठेकेदारों को अतिरिक्त भुगतान करना पड़ा।

विश्वविद्यालय ने बढ़ाये गए दरों का औचित्य (जनवरी 1981 इस आधार पर सिद्ध किया कि अलीगढ़ में व्याप्त अशान्ति के फलस्वरूप चार महीनों तक कार्य पूर्णतया अवरुद्ध रहा साथ ही साथ यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि अनुबन्ध करने वाली दोनों पार्टियों को अनुबन्ध की शर्तों और दशाओं पर पुनर्विचार और संशोधन करने की, परिस्थितियों के अनुसार, पहले से ही छूट दे दी गई थी। यह कहना बहरहाल, तर्क संगत नहीं था क्योंकि अनुबन्ध में दरों पर पुनर्विचार व संशोधन करने का उपविधान नहीं किया गया था तथा अलीगढ़ में व्याप्त अशान्ति की वजह से विश्वविद्यालय अधिक से अधिक कार्य पूरा करने की अवधि को विचार करके बढ़ा सकता था।

7. निरर्थक निवेश

7.1 1977-78 की आडिट रिपोर्ट के पैरा 7 में वर्णित किया गया था कि जून 1977 में विश्वविद्यालय पालीटेकनिक (बहुशिल्प) में उत्पादन-सह प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु विश्वविद्यालय सहायता आयोग द्वारा स्वीकृत की गई। 8.48 लाख रुपयों की अनुदान राशि में विश्वविद्यालय ने दिसम्बर, 1977 और जुलाई, 1978 के बीच 5.84 लाख रुपए मशीनों के क्रय में खर्च किया (रु० 5.78 लाख) तथा विविध खर्च (रु० 0.06 लाख) जैसा कि पहले भी क्रय की गई मशीनों का संस्थापन नहीं किया गया। (जनवरी 1981) और फलस्वरूप उत्पादन-सह प्रशिक्षण केन्द्र चालू नहीं हुआ। केन्द्र स्थापित करने की योजना के समिति के पुनर्विचार में होने का सूचना (जनवरी 1981) दी गई नियुक्ति कार्य समिति द्वारा जुलाई 1980 में लिए गए निर्णय के आधार पर की गई थी। फलत: 5.78 लाख रुपए की मशीनरी व्यर्थ में पड़ी रही।

7.2 पूर्व उपअनुच्छेद में वर्णित विषय के अतिरिक्त 5.42 लाख रुपए के उपकरण भी आने के समय से ही व्यर्थ पड़े रहे :—

(1) चिकित्सा विभाग की नई व अकाल मृत्यु परीक्षक शाखा के उपयोग हेतु सितम्बर/अक्तूबर 1979 में आयातित 3.73 लाख रुपयों के उपकरणों सहित डेलोजर (विघटक) किसी भी उपयोग में नहीं लाया गया जिसकी वजह (जनवरी 1981) स्थान, कर्मचारी व अधिकाधिक व्यय से सम्बंधित समस्याएं बतलाई गई।

(2) विद्युत अभियंत्रण विभाग की संकेत प्राविधिक प्रयोग शाला हेतु स्वचलित संगणन प्रणाली की स्थापना के लिए नवम्बर, 1979 में 1.69 लाख रुपए का उपकरण जो खरीदा गया, न स्थापित किया गया और न ही प्रयोग में लाया गया क्योंकि स्वचलित संगणन प्रणाली को समुचित रीति से संचालित करने के लिए अपेक्षित वोल्टेजनियंत्रक व वाष्पानुकूलक उपलब्ध नहीं हो सके अप्रैल 1980 में मात्र आदेश दे दिया गया था तथा आपूर्ति दाता के निर्देशानुसार स्थल का निर्माण नहीं किया गया। विश्वविद्यालय ने (जनवरी 1981) सूचित किया है कि स्थल का अब निर्माण किया जा चुका है।

7.3 जे० एन० मेडिकल कालेज के पूर्वानुमानित औषधि विभाग से संबंधित शव प्रखण्ड के निर्माण का कार्य विश्वविद्यालय सहायता आयोग द्वारा स्वीकृत की गई 1.24 लाख रुपए की राशि पर सितम्बर 1970 में शुरू किया गया था 1.17 लाख रुपए की लागत में तैयार प्रखण्ड ठेकेदार के द्वारा अप्रैल 1976 में विश्वविद्यालय के अभियन्ता को सौंपा गया। विश्वविद्यालय के अभियन्ता द्वारा उक्त इमारत अक्तूबर 1979 में, 3,1/2 वर्ष की मध्यान्तरिक अवधि तक गोदाम के रूप में इस्तेमाल कर लेने के बाद पूर्वानुमानित औषधि विभाग को सौंपी गई। इसके पश्चात् भी इमारत का उपयोग शव गृह के रूप में नहीं किया जा सका क्योंकि जिला प्रशासन ने कानून और व्यवस्था की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए (फरवरी 1980) इसको मेडिकल कालेज के परिसर में स्थानान्तरित करने की सलाह देना उचित नहीं समझा।

विश्वविद्यालय ने जब, (जनवरी 1981) इमारत के उपयोग पर पुनर्विचार करने की वार्ता चलाई, तब तक 1.17 लाख की लागत पर अप्रैल 1976 में तैयार इमारत बिना किसी लाभप्रद उपयोग के (जनवरी 1981) बेकार पड़ी रही।

7.4 मेडिकल कालेज के परिसर में दो सायकिल रखने के स्थान कार गैरेज तथा मोटरों के रपटों का निर्माण विश्वविद्यालय सहायता आयोग द्वारा 2.51 लाख रुपए की लागत पर जून 1971 में स्वीकृत किया जा चुका था। 2.90 लाख रुपयों का बृहद विवरण मई 1973 में विश्वविद्यालय सहायता आयोग के पास प्रेषित किया गया और कार्य की निविदाएं अक्तूबर, 1975 में आमंत्रित की गई तथा अन्तिम रूप दी गई। आयोग, जिसने सबसे कम दर वाली 4.12 लाख रुपए मूल्य वाली निविदा को फरवरी 1978 में स्वीकार किया, तदर्थ कार्य के लिए अक्तूबर 1978 में धन राशि स्वीकृत की। ठेकेदारों को कार्य आरम्भ करने का आदेश जनवरी 1979 में निर्गत किया गया।

इसी मध्य, कार्य आदेश निर्गत होने के पूर्व दिसम्बर 1978 में मेडिकल कालेज के अस्पताल के अधिकारियों ने विश्वविद्यालय के अभियंता को बतलाया कि क्षेत्र, जहां पर गैरेज आदि का निर्माण कार्य प्रस्तावाधीन था, निचला व जल मग्न क्षेत्र था। कार्य बहरहाल, उसी स्थान पर (जनवरी 1979) प्रारंभ हुआ और अगस्त 1979 में निचली भूमि को समतल करने का 1.71 लाख रुपए का बजट आयोग के पास भेजा गया जिसको आयोग ने इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया कि ऐसी संभावनाओं का पूर्वानुमान करके प्रारंभिक बजट में ही सम्मिलित कर दिया जाना चाहिए था।

4.88 लाख रुपए की लागत पर मई 1980 में तैयार बतलाए गए गैरेजों का भवन निर्माण विभाग व मेडिकल कालेज अस्पताल के अधिकारियों ने एक साथ मिल कर अक्तूबर 1980 में निरीक्षण किया। अस्पताल के अधिकारियों ने इन निर्माण को गैरेज के रूप में स्वीकार करने से इंकार कर दिया

क्योंकि निचली सतह पर निर्मित होने की वजह से पहुंच के बाहर होने के कारण उपयोग में नहीं लाये जा सकते थे। चूंकि आयोग में निचली जगह को समतल करने के लिए कोई धन राशि स्वीकृत नहीं थी अतः 4.88 लाख रुपए की राशि को निरर्थक सिद्ध करता हुआ निर्माण बिना किसी उपयोग के व्यर्थ पड़ा रहा।

विश्वविद्यालय ने (जनवरी 1981) बतलाया वास्तविक निर्माण स्थल का सही रूप से चुनाव नहीं किया गया था तथा निचली सतह को समतल कराने का पुर्वानुमान न करने की चूक हो गई थी तथा साइकिल रखने का स्थान व गैरेजों का इस्तेमाल सीमेन्ट रखने के गोदामों के रूप में किया जाता रहा।

8. कर्मचारियों पर अतिरिक्त व्यय

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अप्रैल 1976 में वार्षिक, प्रति शैय्या हेतु रु० 3,900 का व्यय निर्धारित किया जिसके आधार पर विश्वविद्यालय अपने 350 शैय्या वाले चिकित्सालय में कार्यरत अर्धशैक्षणिक एवं निम्न वर्गीय अधीनस्थ कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों पर रु० 13.65 लाख व्यय कर सका।

तथापि विगत चार वर्षों में (1976-80) चिकित्सालय के कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों पर किया गया निर्धारित सिद्धान्तों से कहीं अधिक था, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :—

वर्ष	कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों पर किया गया कुल व्यय (रुपयों लाखों में)	अतिरिक्त व्यय
1976-77	25.95	12.30
1977-78	32.21	18.56
1978-79	37.27	23.62
1979-80	40.66	27.01
	136.09	81.49

अतिरिक्त व्यय कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि एवं अतिरिक्त मंहगाई भत्तों के साथ-साथ कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि के कारण हुआ था जिसका उल्लेख वर्ष 1978-79 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट में किया गया था।

विश्वविद्यालय ने (जनवरी 1981) बताया कि स्थापना व्यय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुरक्षण अनुदान में समाविष्ट कर लिया गया था और संस्वीकृत कर्मचारियों पर अनुमानित व्यय के आधार पर प्रदान किया गया था चूंकि सिद्धान्त सदैव ठीक नहीं सिद्ध होते, इसलिए अतिरिक्त कर्मचारियों को सक्षम प्राधिकारी की संस्वीकृति से अतिरिक्त आवश्यकताओं के कारण काम पर लगाया गया था। तथापि, जैसा कि वर्ष 1978-79 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के पैरा 4.3 में उल्लिखित है चिकित्सालय द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के समस्त पद आयोग द्वारा अनुमोदित नहीं थे और विश्वविद्यालय ने किसी स्तर पर आयोग को सिद्धांतों के संशोधन के लिए सुझाव नहीं दिया था।

9. अन्य रोचक विषय

9.1 वर्ष 1977-78 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के पैरा 6 उल्लेख किया गया था कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की 100 शिक्षा वृत्तियों की स्वीकृति के अलावा विश्वविद्यालय ने 90 शिक्षा वृत्तियां प्रदान की थी और वर्ष 1977-78 के दौरान रु० 5.67 लाख का अतिरिक्त व्यय विश्वविद्यालय ने किया था। इस अधिव्यय को आयोग से प्राप्त पूर्व वर्षों के अनुदानों की बचत से पूरा किया गया था, विश्वविद्यालय ने अपने साधनों से नहीं, जैसा कि आयोग द्वारा अपेक्षित है।

विश्वविद्यालय ने संस्वीकृति से अधिक शिक्षावृत्तियों पर व्यय करना जारी रखा और वर्ष 1979-80 के अन्त में रु० 12.83 लाख का अतिरिक्त व्यय विश्वविद्यालय ने अपने पूर्व वर्षों के संसाधनों के बजाय अनुदानों की बचत से पूरा किया।

विश्वविद्यालय ने (जनवरी 1981) बताया कि मामले पर विचार किया जा रहा था आयोग से बात चल रही है।

9.2 कुछ विभागों द्वारा पुस्तकें एवं पत्रिकायें विक्रय हेतु मुद्रित एवं प्रकाशित की गई थी प्रकाशन प्रभाग के परामर्श से किसी उपयुक्त अभिकरण अथवा समिति के द्वारा विशिष्ट पुस्तकों की विक्रय शीलता एवं बाजार का मूल्यांकन नहीं किया गया था, फलस्वरूप रु० 6.96 लाख रुपए मूल्य की पुस्तकें एवं पत्रिकायें (जर्नल्स) जिनका विवरण परिशिष्ट 1 एवं 2 में दिया गया है, प्रकाश की अथवा प्रकाशन प्रभाग के बिना बिके पड़ी हुई थी।

नई दिल्ली के एक प्रकाशन संस्था (Publishing House) को प्रकाशन प्रभाग के पास संग्रहीत पुस्तकों के मूल्य एवं गुणों को सुनिश्चित करने के लिए आमंत्रित किया गया था। प्रकाशन के मत सेऐसे प्रयोजन हीन संग्रह किसी मूल्य हीन थे।

विश्वविद्यालय ने (जनवरी 1981) भी स्वीकार किया कि बिना बिकी हुई पुस्तकों (Volumes) के लिए क्रय के सीमित अवसर थे क्योंकि ये पाठ्यक्रम पूर्ण पुस्तकें थी।

9.3 भवन निर्माण की वस्तुएं जैसे सीमेंट, आर० सी० सी० हयूम पाइप, आर० एस० ज्वाइस्टस आदि कर्मचारी सदस्यों एवं बाहरी निकायों (Outside bodies) को सम सामयिक जारी दरों पर लागत मूल्य पाने हेतु नकद जमा करने के बाद उधार दिये गए थे जो वस्तुओं की वापसी के लिए जमानत के रूप में था।

चूंकि सीमेन्ट एक नियन्त्रित वस्तु थी और निर्माण कार्य हेतु विश्वविद्यालय के लिए स्वतः अत्यावश्यक थी, इसका बाहरी निकायों को उधार पर जारी करने का औचित्य समझ के परे था। इसके अतिरिक्त चूंकि सम सामयिक जारी दर पर उधार लेने वाले से मूल्य (रु० 24 प्रति बोरी) की वसूली की गई थी जो बाजार दर (रु० 41 प्रति बोरी) से बहुत कम थी, वर्ष 1978-79 एवं वर्ष 1979-80 के दौरान उधार पर जारी की गई 8,157 बोरी सीमेंट में से एक भी बोरी, सीमेंट किसी उधार लेने वाले ने वापस नहीं किया था। विश्वविद्यालय ने बताया (मई 1981) कि उधार दी गई वस्तुओं को वापस पाने के लिए आवश्यक कार्यवाई प्रारम्भ की जा रही है।

ह० (ए० एन० विश्वास)
महालेखाकार प्रथम
उत्तर प्रदेश

परिशिष्ट 1

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के इतिहास विभाग में 31 मार्च, 1980 को बिना बिकी हुई पुस्तकों का विवरण :—

प्रकाशन वर्ष	प्रकाशित पुस्तकों की संख्या (नाम)	प्राप्त पुस्तकों की संख्या	31 मार्च 1980 को बिना बिकी हुई बचीं पुस्तकों की संख्या	बिना बिकी हुई पुस्तकों का मूल्य रु०
1965	1	980	158	1,580
1966	1	753	75	750
1968	2	1008	165	1,467
1970	2	2055	416	3,164
1971	1	1600	653	6,530
1973	4	4018	2463	11,400
1974	2	2094	794	10,917
1975	1	1582	986	9,860
1977	5	5747	4,266	53,622
1978	3	2517	1,016	22,910
		22354	10,992	1,22,200

परिशिष्ट 2

प्रकाशन प्रभाग अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ के पास 31 मार्च 1980 को बिना बिक्री पुस्तकों का विवरण :—

प्रकाशन वर्ष	प्राप्त पुस्तकों की (संख्या नाम)	प्राप्त पुस्तकों की संख्या	31 मार्च 1980 को बिना बिकी हुई पुस्तकों की सं०	बिना बिकी हुई पुस्तकों का मूल्य
1958-59	34	16,978	9,012	30,338.00
1959-60	9	5,707	2,268	21,549.50
1960-61	9	4,439	1,875	17,485.00
1961-62	13	7,007	3,319	29,987.25
1962-63	12	3,856	1,300	6,067.50
1963-64	20	9,277	5,548	59,669.25
1964-65	13	7,110	3,755	16,054.50
1965-66	8	3,038	1,469	9,028.75
1966-67	6	2,782	1,276	13,762.00
1967-68	4	2,425	1,635	4,886.50
1968-69	7	3,299	1,424	12,022.50
1969-70	8	1,190	2,983	17,321.40
1970-71	4	2,776	1,632	26,158.00
1971-72	8	3,717	2,726	23,491.50
1972-73	3	1,231	913	16,057.50
1973-74	25	10,905	4,641	79,984.50
1974-75	9	3,752	1,486	22,140.60
1975-76	10	5,283	1,339	13,871.70
1976-77	17	6,324	2,307	34,155.75
1977-78	18	4,477	4,029	80,063.00
1978-79	9	1,886	1,662	27,421.00
1979-80	8	476	385	12,170.00
योग	254	1,11,935	57,037	5,73,685.70

ह० (आर० एन० गुप्ता)
लेखाधिकारी

STATE BANK OF INDIA

CENTRAL OFFICE

Bombay, the 14th January 1982

The following appointment on the Bank's staff is hereby notified :—

Shri V. N. V. Padmanbha Rao has assumed charge as Chief General Manager (Planning), Central Office, with effect from the 11th January 1982.

The 16th January 1982

NOTICE

The following appointment on the Bank's staff is hereby notified :—

Shri D. P. Srivastava has assumed charge as Chief Inspector, Zonal Inspection Office, Bhubaneswar, with effect from the 11th January 1982.

(Sd) ILLEGIBLE
Deputy Managing Director
Personnel and Services

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

New Delhi 110002 the 28th January 1982

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. 8-CA(33)/81-82:—In pursuance of Regulation 10(1) (iv) read with Regulation 10(2) (b) of the Chartered Accountants Regulations, 1964, it is hereby notified that the Certificate of Practice issued to the following member shall stand cancelled with effect from 1st August, 1981 as he had not paid his annual fee for Certificate of Practice for the year 1981-82 till 31st day of July 1981.

S. No.	Member-ship Number	Name & Address
1.	9001	Shri P. Rajan, A.C.A., P. O. Box. 1827, Dubai (U.A.E.).

The 30th January 1982

No. 4-CA(8)/81-82:—In pursuance of Regulation 16 of the Chartered Accountants Regulations, 1964, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by Section 20(1) (a) of the Chartered Accountants Act, 1949 the Council of the Institute of Chartered Accountants of India, has removed from the Register of Members of the Institute on account of death, the names of the following members with effect from the dates mentioned against their names:—

S. No.	M.No.	Name & Address	Date of Removal
1.	404	Shri Jai Narain Vaish, C-1/19, Model Town, Delhi-9.,	11-12-81
2.	1693	Shri Ambalal Kalidas Patel, C/o A. K. Patel & Co., Chartered Accountants, 176 Showell Green Lane, Birmingham B11 4HN	16-1-81

P. S. GOPALAKRISHNAN
Secretary

Calcutta, the 22nd January 1982

No. 4-CEA(11)/81-82:—In pursuance of Regulation 16 of the Chartered Accountants Regulations, 1964 it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by Section 20(1) (a) of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has removed from the Register of Members of this Institute on account of death, the names of the following members with effect from the dates mentioned against their names :—

Sr. No.	Member-ship Number	Name & Address	Date of Removal
1.	2	Shri Guru Gobinda Basu, 16/4, Gariahat Road, Calcutta-700019.	7-1-1982
2.	2223	Shri Kanwar Anand Singh, 21, Av. F. Besson, 1217, Meyrin-Geneva, Switzerland.	1-5-1981

The 25th January 1982

No. 4-ECA(12)/81-82:—In pursuance of Regulation 16 of the Chartered Accountants Regulations, 1964 it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by Section 20(1) (a) of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has removed from the Register of Members of this Institute on account of death, the name of the following member with effect from the date mentioned against his name :—

Sr. No.	Member-ship Number	Name & Address	Date of Removal
1.	458	Shri Sitala Charan Sengupta, 38/1, Srigopal Mullik Lane, Calcutta.	15-9-1980

P. S. GOPALKRISHNAN,
Secretary

Madras the 31st December 1981

No. 8SCA/11/81-82:—In pursuance of Clause (iv) of Regulation 10(1) read with Regulation 10(2)(b) of the Chartered Accountants Regulations, 1964, it is hereby notified that the Certificate of Practice issued to the following members shall stand cancelled with effect from 1st August 1981 as they have not paid their annual fee for Certificate of Practice for the year 1981-82 till 31st day of July 1981.

S. No.	M.No.	Name & Address
1.	7687	Shri V. Kalyana Sundaram, A.C.A., 41, Solayappa Mudali Street, Mylapore, Madras-600004.
2.	19251	Shri K. Thiruvadinatha Pillai, A.C.A., T.C. 23/331, Vallachalai, Trivandrum-695023.
3.	20784	Shri T. K. Gopalakrishnan A.C.A, Amritha Vilas, Chendamangalam P. O. Via—Alyawaye, Kerala.

The 5th January 1982

No. 8SCA/12/81-82:—In pursuance of Clause (iii) of Regulation 10(1) of the Chartered Accountants Regulations, 1964, it is hereby notified that the Certificate of Practice issued to the following members shall stand cancelled from the dates mentioned against their names, as they do not desire to hold their Certificate of Practice.

S. No.	M.No.	Name & Address	Date of Cancellation.
1.	19179	Shri A. Kamatchi, A.C.A., 6, Selveezer Street II, Tuticorin-2.	14-12-1981
2.	20065	Shri G. Raghuraj, A.C.A, Accounts Officer, Southern Oils & Extractions Ltd., 108, J. C. Road, Bangalore-560002.	1-4-1981
3.	20539	Shri A. V. Ranganatha, A.C.A., C/o Opp. to A. Srinivasachar's House, Sandur-583119.	1-4-1981
4.	20765	Shri M. A. Suryanarayanan, A.C.A., 18, Station Road, West Mambalam Madras-600033.	1-4-1981
5.	20819	Shri N. Aswastharam, A.C.A, Assistant Manager, Karnataka State Financial Corpn., Sankarayan Building. V floor, 25, M.G. Road, Bangalore-560001.	31-7-1981
6.	21134	Shri S. Gunasekaran, A.C.A., Assistant Manager (Accounts), Cheran Transport Corpn. Ltd. (Registered office), 37, Mettupalayam Road, Coimbatore-641011.	3-12-1981
7.	21203	Shri A. Shamsudeen, A.C.A., Chivakkuzhy House, Ponkunnum PO. Kottayam Dt.	11-12-1981

P. S. GOPALAKRISHNAN,
Secretary

Kanpur-208001, the 21st January 1982

CHARTERED ACCOUNTANTS

No. 8-CCA(9)/81-82:—In pursuance of Clause (iv) of Regulation 10(1) read with Regulation 10(2)(b) of the Chartered Accountants Regulations, 1964, it is hereby notified that the Certificates of practice issued to the following members shall stand cancelled with effect from 1st August, 1981 as they had not paid their annual fee for the Certificate of Practice for the year 1981-82 till 31st day of July 1981.

S. No.	Membership Number	Name & Address
1.	8057	Sri Kailash Prasad, F.C.A, M/s. K. P. Tulsyan & Co., Chartered Accountants, Luxmi Niwas, Chetganj, VARANASI.
2.	70554	Sri Girish Sareen, A.C.A., 160, Cycle Market, Jhandewalan Extension, NEW DELHI-55.
3.	70691	Sri C. L. Kumar, A.C.A., Chartered Accountant, 7/90, Sector II, Rajinder Nagar, Sahibabad, GHAZIABAD.

P. S. GOPALAKRISHNAN,
Secretary

4—469GI/81

EMPLOYEES STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 5th February 1982

No. N. 15/13/16/1/77(A)-P &D (1):—In exercise of the powers conferred by sub-regulation (1) of Regulation 5 of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has determined that in the areas specified in the Schedule given below the first contribution and first benefit periods for Sets 'A', 'B' and 'C' shall begin and end in respect of persons in insurable employment on the appointed day of midnight of 30-1-1982 as indicated in the table given below:—

Set	First contribution period		First benefit period	
	Begins on midnight of	Ends on midnight of	Begins on midnight of	Ends on midnight of
A	30-1-82	31-7-82	30-10-82	30-4-83
B	30-1-82	27-3-82	30-10-82	25-6-83
C	30-1-82	29-5-82	30-10-82	26-2-83

SCHEDULE

"The areas comprised within the revenue village-Bahalgarh Road Had Bast No. 80 and Jamalpur Village Had Bast No. 173, District Sonepat in the State of Haryana".

No. N-15/13/16/1/77(A)-P&D(2):—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulatins, 1950, the Director General has fixed the 31st January, 1982 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Haryana Employees' State Insurance (Medical) Benefit) Rules, 1953, shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Haryana namely:—

"The areas comprised within the revenue village—Bahalgarh Road Had Bast No. 80 and Jamalpur village Had Bast No. 173, District Sonepat."

No. N-15/13/3/1/78-P&D(1)—In exercise of the powers conferred by sub-regulation (1) of Regulation 5 of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has determined that in the areas specified in the Schedule given below the first contribution and first benefit periods for sets 'A', 'B' and 'C' shall begin and end in respect of persons in insurable employment on the appointed day of midnight of 30th January, 1982 as indicated in the table given below:—

Set	First contribution period		First benefit period	
	Begins on midnight of	Ends on midnight of	Begins on midnight of	Ends on midnight of
A	30-1-1982	31-7-82	30-10-82	30-4-83
B	30-1-1982	27-3-82	30-10-82	25-6-83
C	30-1-1982	29-5-82	30-10-82	26-2-83

SCHEDULE

"The areas comprised within revenue village 'Bela', revenue thana Muzaffarpur Sadar, District Muzaffarpur, in the State of Bihar".

No. 15/13/3/1/78-P&W(2).—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 31st January, 1982 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Bihar Employees' State Insu-

rance (Medical Benefit) Rules, 1951, shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Bihar namely :—

"The areas comprised within revenue village :Bela', revenue thana Muzaffarpur Sadar, District Muzaffarpur."

D. P. MALHOTRA
Director (PLG. & DEV).

REGIONAL OFFICE

Chandigarh, the 5th February 1982

No. 12-V/34/13/1/79-Adm.—In supersession of Employees' State Insurance Corporation Notification No. PB.Ins.II.11(2)/73(Pb). dated 11-10-1974 published in Government of India Gazette Part-III Section 4 dated 28-12-74, it is hereby notified that the Chairman, Regional Board, Punjab has reconstituted the Local Committee consisting of the following members for Amritsar including Chheharta area (where Chapter IV & V of the Employees' State Insurance Act, 1948 are already in force) under Regulation 10-A of Employees' State Insurance (General) Regulation, 1950 with effect from the date of Notification :—

CHAIRMAN

UNDER REGULATION 10-*A*(1)(*a*)

1. Deputy Commissioner, Amritsar.

MEMBERS

UNDER REGULATION 10-*A*(1)(*b*)

2. Medical Superintendent,
E.S.I. Hospital, Amritsar.

UNDER REGULATION 10-*A*(1)(*c*)

3. The Administrative Medical Officer,
E.S.I. Scheme, Punjab State,
Chandigarh.

UNDER REGULATION 10-*A*(1)(*d*)

4. Sh. Hardit Singh Makhni;
Chief Executive,
M/s O.C.M. (India) Ltd.,
Chheharata representing the Punjab and Harvana and Delhi Chamber of Commerce in India.

5. Sh. Vidhva Parkash Kapur,
M/s. Textile Manufacturers Associate,
4-Diwan-C-Mehra Road,
Amritsar.

6. Shri D. V. Virmani,
M/s. Punjab Chamber of Commerce & Industries,
Association, Inside Gandhi Gate,
Amritsar.

7. Shri Muni Lal Khanna,
M/s. Punjab Textile Manufacturing Association,
S-Karishna Market Katra Ahluwalia,
Amritsar.

UNDER REGULATION 10-*A*(1)(*e*)

8. Shri Parduman Singh,
General Secretary, Textile Mazdoor Ekta Union Putlighar,
AMRITSAR (AITUC)

9. Shri Joginder Pal Sewak,
C/o. INTUC, Amritsar.

10. Sh. R. L. Bawa, General Secretary,
Bhartiya Mazdoor Sangh,
Putlighar,
Amritsar.

11. Shri Hardval Singh Bawa,
General Secretary,
Hind Mazdoor Sabha
Hathi Gate,
Amritsar.

UNDER REGULATION 10-*A*(1)(*f*)

12. The Manager,
Local Office,
E.S.I. Corporation,
Amritsar — Member-Secretary

No. 12.V/34/13/1/79-Adm.—In supersession of Employees' State Insurance Corporation Notification No. PB.INS.II-11(2)/73-Pb. dated 3-1-75, published in Government of Inda Gazette, Part-III, Section-4 dated 1-2-75, it is hereby notified that the Chairman Regional Board, Punjab has reconstituted the Local Committee consisting of the following members for Phagwara area (where Chapter IV & V of the Employees' State Insurance Act, 1948 area already in force) under Regulation, 10-A of Employees' State Insurance (General) Regulation, 1950 with effect from the date of Notification :—

CHAIRMAN

UNDER REGULATION 10-*A*(1)(a)

1. Sub-Divisional Magistrate,
Phagwara.

MEMBERS

UNDER REGULATION 10-*A*(1)(*b*)

2. Incharge-Medical Officer,
E.S.I. Dispensary,
Phagwara.

UNDER REGULATION 10-*A*(1)(*c*)

3. Administrative Medical Officer,
E.S.I. Scheme,
Punjab, Chandigarh.

UNDER REGULATION 10-*A*(1)(*d*)

4. Sh. O. P. Verma, Factory Manager,
M/s. Jagatjit Cotton Textile Mills,
Phagwara.

5. Sh. D. K. Vohra,
M/s. Mohinder Spinning Mills Ltd.
Hoshiarpur.

6. S. Mehar Singh,
M/s. Ajanta Electricals,
G. T. Road, Phagwara.

7. Sh. Vinod Dev, General Manager
Jagjit Sugar Mills Co., Ltd.,
Phagwara.

UNDER REGULATION 10-*A*(1)(*e*)

8. Sh. Ram Shani, General Secretary,
Metal Mazdoor Union,
Phagwara.

9. Sh. Sita Ram,
Bhartiya Mazdoor Sangh,
Phagwara.

10. Sh. Jamait Singh Pathania,
Jagjit Kapra Mills Trade Union Congress,
Phagwara.

11. Dr. (Miss) Leela Saini,
INTUC, Hoshiarpur.

UNDER REGULATION 10-*A*(1)(*f*)

12. The Manager,
Local Office,
E.S.I. Corporation,
Phagwara. — Member-Secretary

No. 12.V/34/13/1/79-Adm.—In supersession of Employees' State Insurance Corporation Notification No. PB.INS.II-11(2)/73-Pb. dated 3-1-75, published in Government of India Gazette, Part-III, Section-4 dated 1-2-75, it is hereby notified that the Chairman Regional Board, Punjab has reconstituted the Local Committee consisting of the following members for Jullundur area (where Chapter IV & V of the Employees' State Insurance Act, 1948 area already in force) under Regulation, 10-A of Employees' State Insurance (General) Regulation, 1950 with effect from the date of Notification :—

CHAIRMAN

UNDER REGULATON 10-*A*(1)(*a*)

1. Deputy Commissioner, Jullundur.

MEMBERS

UNDER REGULATION 10-*A*(1)(*b*)

2. Medical Superintendent,
E.S.I. Hospital, Jullundur.

UNDER REGULATION 10-*A*(1)(*c*)

3. Administrative Medical Officer,
E.S.I. Scheme,
Punjab, Chandigarh.

UNDER REGULATION 10-*A*(1)(*e*)

4. Sh. Ved Parkash Nayar,
M/s. Decent Rubber Industries,
Basti Sheikh Road, Jullundur.

5. S. Mehar Singh, President,
Jullundur Engineering Federation
C/o Khalsa Engineering Works,
Preet Nagar, Jullundur.

6. S. M. S. Sachdev, General Secretary,
Manufacture and Employers Association,
Jullundur City,

7. Shri A. P. Mayor, President,
Punjab Factory Owners Association (Regd.)
Nehru Garden Road,
Jullundur.

UNDER REGULATION 10-*A*(1)(*e*)

8. Sh. J. C. Bhalla, General Secretary,
INTUC, Mazdoor Council, Jullundur.

9. Sh. Ram Lubhya Sharma
General Secretary,
Bhartiya Mazdoor Sangh,
Jullundur.

10. Comrade Om Parkash, General Secretary,
Distt. Metal Mazdoor Union,
Jullundur.

11. Shri R. P. Bedi C/o.
General Metal and Engineering Works,
Jullundur.

UNDER REGULATION 10-*A*(1)(*f*)

12. The Manager,
Local Office,
E.S.I. Corporation,
Jullundur.

Member-Secretary.

No. 12.V/34/13/1/79-Adm.—In supersession of Employees' State Insurance Corporation Notification No. PB.INS.II-11(2)/73-Pb. dated 3-1-75, published in Government of India Gazette, Part-III, Section-4 dated 1-2-75, it is hereby notified that the Chairman Regional Board, Punjab has reconstituted the Local Committee consisting of the following members for Batala area (where Chapter IV & V of the Employees' State Insurance Act, 1948 area already in force) under Regulation, 10-A of Employees' State Insurance (General) Regulation, 1950 with effect from the date of Notification :—

CHAIRMAN

UNDER REGULATION 10-*A*(1)(*a*)

1. Sub-Divisional Magistrate,
Batala.

MEMBERS

UNDER REGULATION 10-*A*(1)(*b*)

2. Incharge-Medical Officer,
E.S.I. Dispensary,
Batala.

UNDER REGULATION 10-*A*(1)(*c*)

3. The Administrative Medical Officer,
E.S.I. Scheme (Punjab),
Chandigarh.

UNDER REGULATION 10-*A*(1)(*d*)

4. Shri Joginder Bedi,
M/s. Fans to Machine Tools,
Industrial Area, Batala.

5. Shri Ved Parkash Sharma,
M/s. Kumar Industries Co.,
Batala.

6. Shri V. P. Modgil,
M/s. Modgil Co., G. T. Road,
Batala.

7. Shri Arun Chander,
Administrative Officer,
M/s. New Egerton Works Mills,
Dhariwal.

UNDER REGULATION 10-*A*(1)(*e*)

8. Shri Kartar Singh,
Iron and Steel Workers Union,
Batala (AITUC).

9. S. Kundan Singh Virk,
Distt. Metal Kharkhne Workers Union,
Batala (AITUC).

10. Ram Lubhya Bawa,
General Secretary,
Bhartiya Mazdoor Dal,
Batala.

11. Sh. Balak Ram Chaman,
C/o. INTUC,
Amritsar.

UNDER REGULATION 10-*A*(1)(*f*)

12. The Manager,
Local Office,
E.S.I. Corporation,
Batala

Member-Secretary.

No. 12-V/34/13/1/79-Adm.—In exercise of the powers under Regulation 10-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Chairman Regional Board, Punjab has constituted the Local Committee consisting of the following members for Patiala area (where Chapter IV & V of the Employees' State Insurance Act, 1948 are already in force) with effect from the date of Notification :—

CHAIRMAN

UNDER REGULATION 10-*A*(1)(*a*)

1. Deputy Commissioner, Patiala.

MEMBERS

UNDER REGULATION 10-*A*(1)(*b*)

2. Incharge Medical Officer,
E.S.I. Dispensary,
Patiala.

UNDER REGULATION 10-*A*(1)(*c*)

3. The Administrative Medical Officer,
E.S.I. Scheme, Punjab,
Chandigarh.

UNDER REGULATION 10-*A*(1)(*d*)

4. Shri C. P. S. Narula,
Divisional Personnel Manager,
M/s. Escorts Ltd., Bhadurgarh,
Patiala.

5. Sh. Sajan Kumar Bhargirai,
Vice President, M/s. Bharat Commerce & Industries Ltd.,
Rajpura.

6. Shri M. M. Bhandari,
M/s. Guru Nanak Metal Works,
Manager, Hindustan Wire Products (Ltd.),
Patiala.

7. Sh. O. M. Solanki, Personnel Manager,
National Fertilizer Ltd.,
Bhatinda.

Under Regulation 10-*A*(1)(*e*)

8. Giani Tejinder Singh, General Secretary,
Trade Union Council,
Patiala

9. Sh. Baldev Krishan Sharma,
General Secretary, Bhartya-Mazdoor Sangh,
Patiala.

10. Sh. Ram Dass, General Secretary,
Trade Union Council, Bhatinda.

11. Sh. Pritam Dass, General Secretary,
Distt. Motor Transport Works Union,
Kotkapura.

Under Regulation 10-*A*(1)(*f*)

12. The Manager, Local Office,
E.S.I. Corporation,
Patiala. —Member-Secretary.

No. 12-V/34/13/1/79-Adm.—In exercise of the powers under Regulation 10-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Chairman, Regional Board Punjab has constituted the Local Committee consisting of the following members for Abohar Area (Where Chapter IV & V of the Employees' State Insurance Act, 1948 are already in force) with effect from the date of notification :—

CHAIRMAN

Under Regulation 10-*A*(1)(*a*)

1. Sub-Divisional Magistrate,
Abohar.

MEMBERS

Under Regulation 10-*A*(1)(*b*)

2. Incharge Medical Officer,
E.S.I. Dispensary,
Abohar.

Under Regulation 10-*A*(1)(*c*)

3. The Administrative Medical Officer,
E.S.I. Scheme,
Punjab, Chandigarh.

Under Regulation 10-*A*(1)(*d*)

4. Shri R. K. Tandon, Manager,
M/s Bhiwani, Cotton Mills Industries Ltd.,
Abohar.

5. Executive Engineer,
Punjab State Electricity Board,
Abohar.

6. Shri N. K. Chajjar, President,
Shri Bhiwani Cotton Textile Mills,
Abohar.

Under Regulation 10-*A*(1)(*e*)

7. Shri Umeshanker, General Secretary,
M/s Bhiwani Cotton Mills Karamchari Union,
Abohar.

8. Shri Ghania Lal Chopra,
President, Cotton Mills Mazdoor Union,
Abohar (INTUC).

9. Shri Sher Singh, President,
Cotton Mills Labour Union (CITU),
Abohar.

Under Regulation 10-*A*(1)(*f*)

10. The Manager, Local Office,
E.S.I. Corporation,
Amloh. —Member-Secretary.

No. 12-V/34/13/1/79-Adm.—In exercise of the powers under Regulation 10-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Chairman, Regional Board Punjab has constituted the Local Committee consisting of the following members for Gobindgarh area (Where Chapter IV & V of the Employees' State Insurance Act, 1948 are already in force) with effect from the date of notification :—

CHAIRMAN

Under Regulation 10-*A*(1)(*a*)

1. Sub-Divisional Magistrate,
Amloh.

MEMBERS

Under Regulation 10-*A*(1)(*b*)

2. Incharge Medical Officer,
E.S.I. Dispensary,
Gobindgarh.

Under Regulation 10-*A*(1)(*c*)

3. The Administrative Medical Officer,
E.S.I. Scheme,
Punjab, Chandigarh.

Under Regulation 10-*A*(1)(*d*)

4. Shri Balram Sooraj,
M/s Guru Nanak Metal Works,
Guru Ki Nagri,
Gobindgarh.

5. S. Kirpal Singh Khalsa,
M/s Guru Ram Dass Iron Steel Rolling Mills,
Mandi Gobindgarh.

6. Sh. Nand Kumar Gupta,
M/s Jai Industries, G. T. Road,
Gobindgarh.

7. Shri Banarsi Dass,
M/s Banarsi Dass Ramji Dass Iron and Rolling Mills,
Amloh Road,
Mandi Gobindgarh.

Under Regulation 10-*A*(1)(*e*)

8. Shri Balkar Singh Tongsman,
M/s Surindera Steel Rolling Mills,
Mandi Gobindgarh.

9. Shri Lachhman Singh,
AITUC, Gobindgarh.

10. Shri Tarsem Lal, General Secretary,
AITUC, Gobindgarh.

11. Shri Ramesh Kumar Tongsman,
M/s Hansa Steels,
Mandi Gobindgarh.

Under Regulation 10-*A*(1)(*f*)

12. The Manager, Local Office,
E.S.I. Corporation,
Mandi Gobindgarh. —Member-Secretary.

By Order

K. S. SETHI
Regional Director

INDIAN POSTS AND TELEGRAPHS DEPARTMENT

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF THE POSTS AND TELEGRAPHS

New Delhi-110001, the 4th February 1982

NOTICE

No. 25-1/82-LI— Postal Life Insurance policies particularised below having been lost from the Departmental custody, notice is hereby given that the payment thereof has been stopped. The Director, Postal Life Insurance, Calcutta has been authorised to issue duplicate policies in favour of the insurants. The Public are hereby cautioned against dealing with the original policies:—

Sl. No.	Policy Number and date	Name of the insurant	Amount
1.	No. 122115-P	Shri K. Rajagopal	Rs. 4,000/-

M.R. ISSARANI, Director (PLI)

UNIT TRUST OF INDIA

Bombay, the 5th February 1982

No. UT/9859/DPD(P & R)84/81-82.—The following modification to the notification published in the Gazette of India dated 19th December, 1981 (Part III, Sec. 4) on page No. 3542 regarding the Unit Scheme for Charitable and Religious Trusts and Registered Societies (CRTS), 1981 is published for general information:

"For the words 'After item (ii) ..... purpose' the following shall be substituted;

"After item (ii) of Sub-Clause (1) of Clause IV *insert* the following:

"(iii) Any other body either established or controlled by or under a State or Central Act and carrying out any charitable purpose."

A. P. KURIAN
General Manager (P & D)

AIR-INDIA

ALL-INDIA EMPLOYEES' SERVICE (AMENDMENT) REGULATIONS, 1982

HQ/100-53(C).—In exercise of the powers conferred by Section 45, read with sub-section (2) of Section 8 of the Air Corporations Act, 1953 (27 of 1953), Air-India with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend Air-India Employees' Service Regulations, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Air-India Employees' Service (Amendment) **Regulations, 1982.**

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Air-India Employees' Service Regulations, 1963, the following shall be added as a 'Note' under Sub-Regulation (ii) of Regulation 46 :—

"NOTE—For the purpose of this Regulation the term 'continuous service' shall include uninterrupted service rendered before joining the Corporation under Central Government, State Government, Defence Service, Public Sector Undertakings, owned or Controlled by Government, autonomous organisations and other Governmental agencies, provided that there is no break between the date of leaving the service in the above-mentioned organisations and the date of joining the service in the Corporation. For the purpose of this Regulation, if the intervening period between cessation of service under Government and other agencies mentioned above, and the date of joining the service in the Corporation does not exceed the normal joining time admissible under the Central Government rules on transfer to join the duties of a new post, such intervening period shall not be treated as 'break'."

3. In the said Regulations, under Regulation 49C the following 'provision' shall be added :—

"Provided that in the case of employees where 'continuous service' as defined in the 'Note' under S.R. 46(li) is treated as service in the Corporation qualifying for gratuity, the amount of gratuity payable will be determined with reference to the actual completed years of service rendered by the concerned employee in the Corporation."

S. NARAYANSWAMY
Secretary

CANTONMENT BOARD, KHAS YOL CANTONMENT

Khas Yol Cantonment, the 11th January 1982

No. SRO KY/G/8/4/14.—WHEREAS a public notice of certain draft bye-laws for regulating the registration and classification of contractors to carry out the works of the Cantonment Board, Khas Yol, was published as required by sub-section (1) of section 284 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), under the Cantonment Board, Khas Yol, Notice No. KY/G/8/4/14, dated the 27th February, 1980 for inviting objections and suggestions within a period of thirty days from the date of publication of the said notice;

And whereas no objections or suggestions were received by the aforesaid Cantonment Board within the said period;

And whereas the Central Government have duly approved and confirmed the said draft bye-laws as required by sub-section (1) of section 284 of the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (39) of section 282 of the said Act, the Cantonment Board, Khas Yol, hereby makes the following bye-laws, namely :—

1. *Short title and commencement.*—(1) These bye-laws may be called the Khas Yol Cantonment (Regulation of Registration and Classification of Contractors) Bye-laws, 1980.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. *Registration of contractors.*—No person shall be entitled to submit a tender for execution of works under the Cantonment Board, Khas Yol, unless his name is duly registered in the register of approved contractors maintained in the office of the Cantonment Board, Khas Yol.

3. *Entitlement to tender for works.*—Any person may register his name as an approved contractor of the Cantonment Board, Khas Yol, after the Cantonment Board has approved the inclusion of his name in the register of approved contractors and after he has deposited, with the Cantonment Board, the prescribed amaount in this behalf in bye-law 5.

4. *Classification of contractors.*—The list of approved contractors of Cantonment Board, Khas Yol, shall, depending upon their financial position and experience, be divided in the following two categories, namely :—

Category 'A'—Consisting of contractors who shall be entitled to tender for all works.

Category 'B'—Consisting of contractors who shall be entitled to tender for works, the estimated cost whereof does not exceed Rs. 10,000/-.

5. *Deposit for Registration.*—(1) Every contractor in Category 'A' shall deposit a refundable sum of Rs. 100 and in Category 'B' a sum of Rs. 50, before his name is included in the list of approved contractors.

(2) The said amount shall be refundable only when the contractor's name is removed from the list at his own request in writing.

(3) In the event of the death of any contractor such amount shall be repayable to his legal heirs.

(4) The amount so deposited shall be liable to be forfeited at the discretion of the Cantonment Board, if he has failed to tender for works for more than one year, provided that, before the deposit is forfeited, the contractor shall be given an opportunity to show cause within a period of thirty days, from the date of issue of notice, as to why orders for forfeiture of the deposit be not made.

6. *Earnest Money.*—(1) Any approved contractor who tenders for contracts under the Cantonment Board, Khas Yol, shall deposit with his tender, earnest money equal to 2 percent of the cost of the work undertaken by the tenderer :

Provided that no earnest money shall be required to be deposited for works costing less than Rs. 1,000/-.

(2) The contractors whose tenders are not accepted by the said Cantonment Board shall be entitled to the refund of earnest money.

7. *Contract agreement and security deposit.*—Before commencing the work awarded, the successful tenderer shall be required—

(i) to execute a contract agreement with the Cantonment Board, Khas Yol, on a non-judicial stamped paper of the required value, binding himself to execute the work awarded to him in accordance with the terms and conditions laid down by the said Cantonment Board;

(ii) to furnish to the said Cantonment Board a cash deposit equal to 10 percent of the estimated cost of the works towards security for proper performance of the contract;

(iii) the said cash deposit towards security for proper performance of the contract shall be refundable only after six months of the successful completion of the work, provided that the work is certified as satisfactory by the Cantonment Executive Officer, Khas Yol.

8. *Supplement provisions.*—It shall be open to the Cantonment Board, Khas Yol, to impose, before including a contractor's name in the list of approved contractors, such other conditions as the said Cantonment Board may consider reasonable and in consonance with the prevailing practice in the Military Engineer Service and Public Works Departments in this regard.

(File No. 12/13/C/L&C/79)

U. S. PARMAR
Cantonment Executive Officer

ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY, ALIGARH
General Accounts & Balance Sheet, 1980-81
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR 1979-80

Expenditure	Actuals for 1979-80		Income	Actuals for 1979-80	
	Rs.	Rs.		Rs.	Rs.
		(A) Maintenance	Grant Account—		
1. Administration—			1. Endowments and Grants—		
(i) Salaries	56,25,042		A. Income from Investments—	—	3,05,947
(ii) Other Charges	10,97,513		B. Grants—		
(iii) Common Service and General Charges	48,87,345		University Grants Commission	7,30,00,000	
		1,16,09,900	State Government	2,62,000	
2. Academic Departments—					7,32,62,000
A. Faculties			2. Fees from Students—		
(i) Salaries	2,38,37,888		Academic	12,59,391	
(ii) Other Charges	26,57,603		Examination	3,49,797	
		2,64,95,491	Other Fees	1,33,805	
B. Colleges—					17,42,993
(i) Salaries	28,21,414		3. Hostels—		5,65,618
(ii) Other Charges	4,21,338		4. Income from Buildings, Loans and other properties—		
		32,42,752	Buildings	4,76,749	
C. General Education Centre—			Lands and	36,555	
(i) Salaries	2,14,789		Gardens	99,767	
(ii) Other Charges	1,07,484				6,13,071
		3,22,273	5. Publications—		21,271
3. Examinations—			6. Other Departments—		
(i) Salaries	1,67,673		Buildings Department	2,539	
(ii) Other Charges	19,15,762		Property Department	5,173	
		20,83,435			7,712
4. M.A. Library—			7. Electricity Department (Auxiliary Services)—		
(i) Salaries	11,59,019		Electricity Supply Service		30,84,466
(ii) Other Charges	19,50051		8. Miscellaneous—		1,81,120
		31,09,070	9. Schools—		
5. Students' Facilities—			Fees from Students	1,96,800	
(i) Salaries	6,27,399		Hostels	15,056	
(ii) Other Charges	2,51,754		Miscellaneous	634	
		8,79,153			2,12,490
6. Fellowships and Scholarships—			Total—Main University		7,99,96,688
(a) Fellowships	1,79,349		10. Medical College Hospital—		
(b) Scholarships	8,33,991		Miscellaneous		68,569
(c) Stipends	51,778		Grand Total		8,00,65,257
(d) Other Scholarships	23,484				
		10,88,602			
7. Hostels—					
(i) Salaries	52,15,631				
(ii) Other Charges	2,44,858				
		54,60,489			
8. Publications—					
(i) Salaries	1,12,687				
(ii) Other Charges	44,346				
		1,57,033			

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR 1979-80

Expenditure	Actuals for 1979-80		Income	Actuals for 1979-80	
	Rs.	Rs.		Rs.	Rs.
		(A) Maintenance	Grant Account		
9. Other Departments—					
(i) Salaries	32,76,363				
(ii) Other Charges	38,05,774	70,82,137			
10. Auxiliary Departments—					
Electricity Department					
(i) Salaries	8,21,907				
(ii) Other Charges	29,39,901	37,61,808			
11. Miscellanous—					
(i) Leave Salary	21,40,212				
(ii) Other Charges	19,09,844	40,50,056			
12. Schools					
(i) Salaries	28,80,216				
(ii) Other Charges	1,93,574	30,73,790			
13. Provident Fund and Pension	..	13,44,783			
Total—Main University		7,37,60,772			
14. Medical College Hospital					
(i) Salaries	40,65,733				
(ii) Other Charges	13,36,216	54,01,949			
Grand Total		7,91,62,721			
Excess of Receipts over Expenditure		9,02,536			
Total—Maintenance Grant Account		8,00,65,257			8,00,65,257

Sd/- (S. Shafiq Ahmad)
Asstt. Accounts Officer
A.M.U. Aligarh

Sd/—(Surinder Pal)
Finance Officer
A.M.U., Aligarh.

5—469 GI/81

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNTS FOR THE YEAR 1979-80

Expenditure	Actuals for 1979-80		Income	Actuals for 1979-80	
	Rs.	Rs.			
	(B) Development		Grant Account	Rs.	Rs.
I. V Plan Schemes—			I. Grant-in-aid from U.G.C.—		
Development of Higher Education and Research Academic Departments			V. Plan Schemes	5,02,533	
Salaries & Allowances	6,35,335		II. Special Development Schemes—		
Other Charges	1.04,166		Outside V Plan	6,01,747	
		7,39,501	III. Grant-in-aid for Miscellaneous Schemes from U.G.C. and Govt. of India—	5,85,871	
II. Special Development Schemes—					
Salaries & Allowances	(—)6,698				
Other Charges	87,039				
Fellowships & Scholarships	3,04,719				
		3,85,060			
III. Continued III Plan Schemes—					
Salaries & Allowances	51,848				
Other Charges	1,81,965				
		2,33,813			
IV. Miscellaneous Schemes—					
Writing of Books at University level	2,000				
Financial Assistance to teachers	8,110				
Utilization of Services of retired teachers	73,419				
Seminar/Symposium/Conferences	17,025				
Travel Grant to teachers	(—)79				
Unassigned Grant	92,602				
Other Schemes	3,27,614		Total —Income		16,90,151
		5,20,691	Excess Expenditure		1,88,914
		18,79,065	Total		18,79,065

Sd/—(S. Shafiq Ahmad)
Asstt. Accounts Officer
A.M.U. Aligarh.

Sd./—(Surinder Pal)
Finance Officer
A.M.U., Aligarh

BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 1980

Liabilities	Amount	Amount
	Rs.	Rs.
General Fund Account—		
Permanent Endowment—		
Capitalised value of the donations received & investment made under section 7 of Act XL of 1920		30,00,000
Permanent Reserve Fund—		
Capitalised value of the donations received and transfers made		20,00,000
Special Floating Reserve Fund—		
Capitalised value of the donations & Grants		10,39,052
Floating Reserve Fund—		
Donation etc. value of		3,76,554
Trust Fund—		
Capitalised value of donations	5,99,676	
Un-utilised interest of the Fund	2,08,010	8,07,686
Miscellanous Funds—		
Depreciation Fund	2,25,056	
Building Fund	1,23,25,534	
Engineering College Fund	9,43,845	
Women's College Fund	23,560	1,35,17,995
Miscellaneous Reserves and Credit Balances—		
University Contribution towards Provident Fund at the Credit of the Employees who have opted for pension		41,04,748
National Service Scheme		18,122
Suspense Account		5,323
Miscellaneous Balances as per annexure to Statement No. 4		1,37,514
Grant for Revision of scales of pay of staff including technical teachers		5,67,241
Compulsory Deposit Scheme		50,613
Compulsory Group Insurance Scheme		24,272
Revolving Fund for publication of Books in History		74,752
Development Grant Account—		
Capitalised value of the grants received from University Grants Commission for—		
Buildings	6,29,70,145	
Books	80,95,902	
Equipment	4,00,36,751	
Furniture	41,64,438	11,52,67,236
Fellowships/Scholarships received from—		
Indian Council of Agricultural Research	13,92,248	
Govt. of India, I.C.C.S.R., etc.	4,50,680	18,42,928

Assets	Amount	Amount
	Rs.	Rs.
Investments—		
(Various Accounts)—		
Govt. Securities	63,98,798	
Fixed Deposits	1,96,84,969	2,60,8,3767
Building		8,74,65,926
Equipment		4,06,26435
Furniture		42,05,473
Books		82,29,809
General Fund—		
Miscellaneouc Advances & Debt Balances—		
Deficit in the Income & Expenditure Account Maintenance Grant Account—		
Accumulated Deficit Prior to 1950-51	9,30,450	
Surplus (1979-80) (9,02,536 (—)3,81,594)	5,20,942	[4,09,508
Permanent Advances		49,19
Student Aid Fund		16,239
Outstanding dues		1,82,297
Inter Fund Advances		54,69,156
Recoveries Suspense		7,88,362
Development Grant Account—		
Excess Expenditure on Account of—		
(i) Senior/Junior Research Fellowships and Scholarship for Girls Polytechnic	12,82,828	
(ii) Government of India Grant— Research in Unani Medicine A.K. Tibbiya College	26,984	
(iii) Literary Research Unit at A.K. Tibbiya College	23,602	
(iv) Post-Graduate Course in Ilmul Advia A.K. Tibbiya College	26,329	13,59,743
Deficit in Income and Expenditure Account (Development Grant)		5,77,292
Deposit Account—		
J. & K. Govt. Grant—		
Excess Expenditure on account of—		
J. & K. Govt.:—		
(i) Fellowships in Hindi and Urdu.	12,713	
(ii) Campus Development (Construction of Hostels)	4,945	17,658
Loans and Advances as per annexure to statement No. 4		15,48,437

U.P. Govt. Grant for—		
Purchase of Equipment for Schools	4,467	
Mobile Care Unit	33,528	
Post-Partum Programme	9,709	
		47,704
Recoveries suspense, Suspense Account as per details in annexure to Statement No. 4		11,71,923
Inter Fund Advances		27,18,394
M. U. Deposit Account.—		
Grant received from Govt. and Agencies		
Ford Foundations	21,94,321	
Kuwait Government	1,00,000	
Islamic Republic of Iran	1,13,000	
Shah Saud's donation	1,69,977	
Jammu & Kashmir Govt. Grant	6,96,820	
Libyan Embassy's grant for construction of Union School	20,000	
		32,94,118
Miscellanous Grants and Deposits—		
(i) Grant received under PL 480 Programme	1,06,044	
(ii) Security Deposits	8,46,562	
(iii) Miscellaneous Credit Balances as per annexure to statement No. 4	7,00,985	
(iv) Vice-Chancellor's Fund	9,41,424	
(v) Teachers' Welfare Fund	3,526	
(vi) N.I.H. Malaria Scheme in Collaboration with Hawai University	46,122	
		26,44,663
U.G.C's Grant for creation of a Revolving Fund for House Building Advances		4,00,000
Inter Fund Advance		13,64,013
Provident Fund Account—		
Provident Fund		2,67,73,217
Inter Fund Advances		14,12,084
Refundable Receipts		24,811
Medical College Fund—		
Capitalised value of the donation		60,92,324
Dr. Walli Mohammad Waqf Fund—		
Capitalised Value of the donation	1,82,000	
Excess of Receipts over expenditure	28,620	
		2,10,620
Golden Jubilee Fund—		
Capitalised Value of the donation		1,20,305
Shaikh Zayed Institute of Petroleum Technology—		
Capitalised Value of the donation received from Shaikh Zayed	17,07,348	
Excess of receipts Over Expenditure as per Income & Expenditure Account	35,570	
		17,42,918
Campus Development Fund—		
Capitalised Value of the donation received from Permanent Islamic Solidarity Fund	1,62,206	
Excess of receipts Over Expenditure as per Income & Expenditure Account	6,897	
		1,69,103

Provident Fund Account—		
House Building Advances		94,31,169
Medical College Fund—		
Inter Fund Advances		1,59,063
Advances for Medical Studies		7,040
Golden Jubilee Fund—		
Accumulated deficit as per receipt & Disbursement Account		10,281
Closing Cash Balances—		
A.M.U. General Fund Account—		
State Bank of India, Karachi		731
M.U. Development Grant Account—		
State Bank of India, Aligarh		26,52,879
M.U. Deposit Account—		
State Bank of India, Aligarh	17,59,179	
Syndicate Bank Extension Counter, A.M.U., Aligarh	31,500	
		17,90,679
M.U. Provident Fund Account—		
State Bank of India, Aligarh	14,07,575	
Allahabad Bank, M.U. Branch, Aligarh	32,108	
Post Office	47,67,706	
		61,07,389

BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 1980

Liabilities	Amount	Amount	Assets	Amount	Amount
	Rs.	Rs.		Rs.	Rs.
Bibi Fatima Begum Waqf—			Medical College Fund—		
Capitalised value of the loan received from Central Waqf Board	1,00,000		State Bank of India, Aligarh . .		13,391
Excess of receipt over Expenditure as per Income & Expenditure Account . .	2,067		Dr. Wali Mohd. Waqf—		
		1,02,067	State Bank of India, Aligarh . .		43,771
			Golden Jubilee Fund—		
			State Bank of India, Aligarh		1,738
			Shaikh Zayed Institute of Petroleum Technology—		
State Bank Endowment for setting—			Syndicate Bank Extension Counter, Aligarh		35,570
up of a Chair in Economics Department—			Permanent Islamic Solidarity Fund—		
Capitalised value of		5,40,000	Syndicate Bank Extension Counter, Aligarh		6,897
Closing Cash Balances—			Bibi Fatima Waqf—		
M.U. General Fund Account .		56,29,664	State Bank of India, Aligarh . . .		2,067
		19,72,91,964			19,72,91,964

Sd/-(S. Shafiq Ahmad)
Asstt. Accounts Officer
A.M.U., Aligarh

Sd/-(Surinder Pal)
Finance Officer
A.M.U., Aligarh

BANK RECONCILIATION STATEMENT AS ON 31-3-80

	M.U. Fund A/c	Dev. Grant. A/c	M.U.P.F. A/c	M.U. Deposit A/c	M.C. Fund A/c
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
Balances as per A/c	(—)56,29,664	(+)26,52,879	(+)14,07,575	(+)17,59,179	(+)13,391
Deduct—					
Remittances in Transit	(—)15,62,559	(—)21,79,741	(—)13,72,323	(—)10,17,424	—
Erroneous/Unclassified debits by the Bank	(—)9,73,015	(—)2,24,282	(—)3,488	(—)2,34,859	—
Total	(—)81,65,238	(+)2,48,856	(+)31,764	(+)5,06,856	(+)13,391
Add.					
Uncashed Cheques	(+)87,15,921	(+)26,33,192	(+)4,44,373	(+)1,92,805	—
Erroneous/Unclassified Credit by the Bank	(+)23,97,921	(+)68,500	(+)2,667	(+)1,22,484	—
Balance as per Bank Statement	(+)29,48,604	(+)29,50,548	(+)4,78,804	(+)8,22,205	(+)13,391

Sd/- S. Shafiq Ahmad
Asstt. Accounts Officer

AUDIT CERTIFICATE

I have examined the foregoing Accounts and the Balance Sheet of the Aligarh Muslim University, Aligarh for the year 1979-80 and obtained all the information and explanation that I have required and subject to the observations in the separate Audit Report. I certify as a result of my audit, that in my opinion these Accounts and the Balance Sheet are properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Aligarh Muslim University, Aligarh according to the best of my information and explanation given to me and as shown by the books of the Aligarh Muslim University, Aligarh.

Sd/- (A.N. BISWAS)
Accountant General,
Uttar Pradesh, Alahabad.

Allahabad
Dated 31 July, 1981

AUDIT REPORT OF THE ACCOUNTANT-GENERAL, U.P., ALLAHABAD, ON THE ACCOUNTS OF ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY FOR THE YEAR 1979-80

AUDIT REPORT ON THE ACCOUNTS OF ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY, ALIGARH FOR THE YEAR 1979-80

1. Introductoy

The University was financed during 1979-80 mainly by the University Grants Commission (Rs. 730.00 lakhs). It also received Rs. 76·93 lakhs from the Government of India and the University Grants Commission for implementation of various schemes and in addition a grant of Rs. 2·62 lakhs was paid by the Government of Uttar Pradesh. Income from permanent endowments and other investments, buildings and lands, medical college hospital receipts, academic fees, hostel receipts realised from the students, etc. are classified as its revenue receipts which totalled Rs. 68·04 lakhs in 1979-80. A broad analysis of the receipts and payments for 1979-80 with corresponding figures for 1978-79 is given below :—

Receipts	Amount (Rupees in lakhs) 1978-79		1979-80		Payments	Amount (Rupees in lakhs) 1978-79		1979-80	
1. Grants received from the					1. Capital				
(i) University Grants Commission	629·79		730·00		(i) Equipments	100·49		24·85	
(ii) State Government	2·62	— 632·41	2·62	—732·62	(ii) Buildings	29·79		54·12	
2. Grants received from the University Grants Commission and the Government of India for various schemes					(iii) Books	6·13		8·83	
(i) Recurring	12·31		16·90		(iv) Furniture	3·52	139·93	2·31	90.11
(ii) Non-recurring	100·76	113·07	60·03	76·93	2. Revenue expenditure (Pay, allowances and general expenses)		370·99		448·31
3. Income from					3. Academic expenses		73·68		72·46
(i) Endowments and investments		8·20		3·06	4. Hostels		50·73		54·60
(ii) Buildings and lands		4·86		6·13	5. Medical College hospital		50·11		54·02
(iii) Academic receipts		19·01		19·55	6. Fellowship and Scholarships		10·39		10·89
(iv) Hostels receipts		5·36		5·66	7· Development grants		33·34		18·79
(v) Medical College hospital receipts		5·46		0·69	8. Miscellaneous expenditure		130·21		137·90
(vi) Miscellaneous receipts		29·33		32·95	9. Provident Fund and pensions		13·62		13·45
Excess of expenditure over receipts									
Capital		39·17		30·18					
Development		21·03		1·89					
		60·20		31·97					
Maintenance		(—)4·90		(—)9·03					
		55·30		22·94					
		873·00		900·53			873·00		900·53

The excess expenditure of Rs. 22·94 lakhs during 1979-80 was met out of the accumulated balances of the unutilised grants of the previous years.

The appreciable increase in expenditure on salaries and allowances during 1979-80 was stated (January 1981) by the University to be due to accrual of annual increments, payment of additional dearness allowances, merger of expenditure on fifth plan posts with non-plan budget with effect from 1st April, 1979 etc.

2. Comments on annual accounts :

2·1 Reconciliation with the bank upto 31st March 1980 revealed a difference of Rs. 221·46 lakhs between the cash balance as per books of the University and those of the bank. As already commented upon in paragraph 5·1 of the Audit Report for 1978-79, items of debit-credit outstanding from 1959-60 onwards had not so far been accounted for and reconciled by the University (January 1981).

The University stated (May 1981) that difference of Rs. 158·99 lakhs had been reconciled and that efforts were being made to reconcile the remaining differences.

2·2 The provident fund accounts for 1979-80 had not been checked by Internal Audit as the review for 1978-79 had not been completed. Apart from what was mentioned in paragraph 5·2 of the Audit Report for 1978-79, it was noticed that :

(i) Posting in the accounts of the subscribers were being made from the salary registeres and not from fund schedules as these schedules were not being prepared. As a result, when three salary registers were misplaced about a year back and could not be traced, the provident fund accounts of the subscribers who were paid salary through these registers could not be completed.

(ii) Posting of deductions, deposits, refunds and withdrawals in the individual ledger accounts had not been completed in most of the cases and the accounts for 1979-80 had not been closed as the rate of interest to be credited to the individual accouts had not yet been finalised by the University for the year. Some of the ledger accounts pertaining to 1977-78 and most of the accounts for 1978-79 had also not been closed after crediting interest on the available balances of the subscribers.

The University stated (January 1981) that the delay in completion of accounts of earlier years was due to disturbed conditions in the city which hampered the progress badly and further intimated (May 1981) that the accounts of subscribers for 1979-80 were being finalised.

3. Utilisation of grants :

Apart from block grants for maintenance the University has been receiving grants for specific purposes from the Government of India, the University Grants Commission and others; out of such grants the University held on 31st March 1979 an unutilised balance of Rs. 82·78 lakhs against some of the specific purpose grants and had upto that date incurred an expenditure of Rs. 68·50 lakhs in excess of grants received for certain other specific purposes.

During 1979-80, grants totalling Rs. 809·55 lakhs (Rs. 64·07 lakhs more than the grants received in 1978-79) were received. At the end of 1979-80, the unutilised balances of the grants totalled Rs. 61·40 lakhs (capital : Rs. 38·98 lakhs and revenue : Rs. 22·42 lakhs) and an excess expenditure of Rs. 79·08 lakhs (capital : Rs. 50·89 lakhs and revenue : Rs. 28·19 lakhs) had been incurred in anticipation of receipts of grants though no prior commitment of the grant giving authority had been ensured for reimbursement of the excess expenditure.

The University, as in the past, stated (January 1981) that most of the unutilised balances had been utilised in the folowing year and that thee excess expenditure incurred on the basis of sanctions received and to be sat off as and when grants would be released had been claimed from the grantors during 1980-81. However test check revealed that Rs. 8·40 lakhs spent in excess of 58 grants totalling Rs. 72·50 lakhs had remained unrealised at least for the last three years, there having been no receipt or payment against these grants during 1977-78 to 1979-80. Similarly, unutilised amount of Rs. 3·43 lakhs out of 126 grants aggregating Rs. 193·54 lakhs was lying unrefunded/unadjusted with the University for the last three years.

4. Advances and outstanding dues :

4·1 Temporary advances aggregating Rs. 174·07 lakhs paid in 4,858 cases to various departments and officers of the University for purchases, contingencies, personal advances, etc., between 1961-62 and 1979-80, were awaiting adjustment (January 1981). Out of these, 2,072 advances totalling Rs. 50·17 lakhs were more than three years old.

The University intimated (May 1981) that till 28th March 1981 the number and amount of outstanding temporary advances released upto the close of the year 1979-80 had been reduced to 4,091 advances involving Rs. 145·76 lakhs.

4·2 The scheme of granting house building advances to employees was introduced in February 1970. However, as already mentioned in paragraph 6·1 of Audit Report for 1978-79, no records for keeping accounts of such advances had been prescribed, the ledger of loanees was incomplete and broad-sheet had not been perpared and proved since 1975-76.

Test check of these accounts revealed the following:—

(i) Only eight lanees out of 475 ot whom the house building advances had been paid, had got their houses insured. The University intimated (January 1981) that amendment of the rules to provide for other under-writers was under consideration as the Life Insurance Corporation of India, who were the under writers under the rules, did not agree to undertake this function.

(ii) The ledgers and broadsheets prescribed for watching the recoveries, remained incomplete. As a result it could not be ensured that timely and regular recoveries were being made in each and every case and that there were no arrears in recovery.

(iii) In 78 cases, where advances totalling Rs. 7·40 lakhs were paid during the period 1971-72 to 1979-80 the employees, who had taken advances either for purchasing ready-built houses or for construction of new houses, had not utilised the advance for the purpose for which it was granted. The recovery from the defaulting loanees was ordered to be made in instalments even though agreements/mortgage deeds provided for lump sum recovery in case of default.

The University stated (January 1981) that steps had been initiated to remove the existing laucunae and to streamline the procedure.

4·3 Outstanding dues : While fees amounting to Rs. 1·82 lakh due from students for the period prior to 1968-69, mention of which was made in the Audit Report for 1976-77 and 1978-79, were still (January 1981) outstanding, a further amount of Rs. 8·88 lakhs had accumulated during 1968-69 to 1979-80 as unrealised dues from students of seven out of twelve halls of residence (figures for five halls were not made available). Apart from these outstanding dues of Rs. 10·70 lakhs realisabe from students and rent of quarters due for recovery from members of the staff (the amount could not be ascertained as the records were incomplete), dues aggregating Rs. 1·56 lakh, as detailed below, accrued upto 31st March 1980, were awaiting recovery on 31st December, 1980 :

Nature of dues	Period	Amount (Rupees in lakhs)
Electricity dues realisable from		
(i) Staff	1965-66 to 1979-80	0·54
(ii) Outsiders	1971-72 to 1979-80	0·29
Cost of books sold on credit	Upto 1979-80	0·12
Cost of computer services rendered to external users	July 1978 to October 1979	0·09
Credit sales of wheat and other produce of lands and gardens	Upto 1979-80	0.07
Cost of cement issued to staff, Government departments, etc.	1974-75 to 1979-80	0·30
Fines and cost of lost books	1979-80	0·04
Rent from shopkeepers	Upto 1979-80	0.05
Rent of quarters occupied unauthorisedly by retired staff	Upto 1979-80	0·06
	Total	1·56

The University stated (January 1981) that the outstanding fees of Rs 1·82 lakhs would be written off as decided in November 1980 since the collection made against these dues appeared to have been misclassified and that efforts were being made to realise remaining outstanding dues (Rs. 10·44 lakhs). The position about recovery of rent from the staff members was, however, not intimated.

5. Physical verification :

5·1 The rules provide for physical verification of stores at least once every year. Such verification for 1979-80 was, however conducted by 22 departments only out of 134 departments. During 1977-78 and 1978-79 also the verification was done in respect of 20 and 7 departments respectively.

The University intimated (May 1981) that further reports of physical verifications for the years 1977-78, 1978-79 and 1979-80 had been received from 16, 17 and 9 departments respectively.

5·2 Physical verification of stock of books of 24 departmental libraries and the central library conducted for 1966-67 and 1967-68 revealed shortages of 3,858 books out of which 197 books were subsequently traced and loss of 1,560 books worth Rs. 15,868 was written off by the Executive Council at its meeting held on 27th September and 20th November 1976. The University intimated (May 1981) that out of the remaining 2101 books, 23 had further been traced out and 858 had been recommended by the Library Committee for write o.f. The recovery or write off of 1,220 books was still awaited (May 1981).

5·3 The physical verification of books for central library carried out in 1968-69, 1969-70 and 1971-72 disclosed the following further shortages/loses of books :—

Year	Books found short/lost
1968-69	766
1969-70	463
1971-72	474
Total	1,703

Out of these 1,703 books, 353 books were stated (January 1981) to have been traced leaving a balance of 1,350 books worth Rs. 0·19 lakh found short/lost. No stock taking of the books of the central library had been done since 1971-72.

5·4 As a result of physical verifications carried out in 1972-73, 1973-74 and 1974-75 in nine out of 24 departmental libraries, 1,143 books were found short/lost. The cost of these books could not be intimated by the Maulana Azad Library. The losses had neither been recovered nor written off so far (January 1981). Physical verification of stock of books was also not carried out on thereafter In respect of remaining 15 departmental libraries, the stock-taking of books had not been done since 1968-69.

The University intimated (May 1981) that stock verification of central library could not be done as during the past several years the library had to be kept open for about 12 hours a day and that stock verification in some of the departmental libraries was in progress.

6. Works :

The works, as detailed below, were allotted to different contractors for execution after getting the estimates sanctioned by the University Grants Commission and inviting tenders on 'item rate' basis :—

Construction work	Sanctioned estimated cost (Rupees in lakhs)	Tendered cost	Date of starting the work	Scheduled date of completion	Actual date of completion	Increased cost due to escalation (Rupees in lakhs)	Amount by which the cost increased
1. Type I quarters under facility Housing Scheme for teaching staff	37·59	33·20	10th January 1979	9th October 1980	In progress	40·94	7·74
2. Animal House and Field Inspectory Buildings for the Department of Zoology	1·54	1·36	24th March 1979	October 1979	Almost completed by December 1980	1·55	0·19
3. Two stores for maintenance of pumping plants of sewerage and sewage disposal scheme	0·48	0·61	8th March 1979	September 1979	In progress	0·68	0·07
4. Centre of West Asian Studies	3·41	3·56 3·33 (Civil work)	21 st July 1979	20th May 1980	do	3·83 (Civil work)	0·50 (15 per cent)
5. Building of Statistics Department	4·10	3·76 3·48 (Civil work)	7th March 1979	31st May 1980	do	4·35 (Civil work)	0·87 (25 per cent)
6. 144 students' hostel	15·23	11·07	3rd August 1978	29th February 1980	30th April 1980	12·59 (Civil work)	1·52
					Total		10·89

During the course of execution of all the above works, the contractors demanded enhanced rates on account of abrupt wise in prices of building materials and the disturbances in the city during May 1979 to August 1979. Though the agreements specifically provided that no claim would be entertained for any fluctuations in market conditons under any circumstances, the University considered the demands of the contractors for enhancement of rates in August and November 1979 and in March 1980 and decided to allow increased rates as mentioned below on quantities executed after August 1979:

For works at serial numbers 1, 2 and 3	Rates increased in accordance with the rates obtained as a result of tenders invited in October 1979 for other similar works.
Numbers 4, 5 and 6	Rates increased by 15, 25 and 35 per cent respectively.

Enhancement of tendered and accepted rates in contravention of the terms of the agreements resulted in extra contractual payment of Rs. 10·89 lakhs on these six works.

The University justified (January 1981) the enhancement of rates on grounds of disturbances in Aligarh which caused total stopage of works for four months and contended that it was open to the two parties to the agreement to review and revise the terms and conditions earlier agreed upon in the light of circumstances. This contention was not tenable, however, as the agreements did not provide for suh a review and revision of the rates under the agreements, for the hinderance caused by the disturbances in Aligarh, the University could consider and grant only extension of time for completion of work.

7. Idle Investment :

7·1 Mention was made in paragraph 7 of the Audit Report for 1977-78 that between December 1977 and July 1978, the University spent Rs. 5·84 lakhs on purchase of machinery (Rs. 5·78 lakhs) and miscellaneus expenses (Rs. 0·06 lakhs) out of the grant of Rs. 8·48 lakhs sanctioned by the University Grants Commission in June 1977 for establishment of a production-cum-training centre at the University Polytechnic. The machinery already purchased had not been installed so far(January 1981) and the production-cum-training centre had not started functioning. The scheme for the establishment of the centre was reported (January 1981) to be under review by a committee appointed under Executive Council decision of July 1980. Meanwhile, machinery valuing Rs. 5·78 lakhs was lying idle.

7·2 In addition to the item mentioned in previous sub-para, equipment worth Rs. 5·42 lakhs, as detailed below, were also lying unutilised since their procurement :—

(i) Dialyser with accessories costing Rs. 3·73 lakhs, imported and received in September/October 1979 for nephrology and coronary-care units of the Department of Medicine had not been brought into use because of the reported (January 1981) problems of space, personnel and high running expenses.

(ii) Equipment for installation of a computer system for signal processing laboratory of the Department of Electrical Engineering purchased in November 1979 at a cost of Rs. 1·69 lakhs had not been installed and brought into use because some accessories like voltage stabiliser and air-conditioner required for the installation and proper functioning of the computer system had not been received (order placed in April 1980 only) and the site as per instructions from the suppliers had not been prepared. The University intimated (January 1981) that the site had now been prepared.

7·3 The construction of mortuary block for the Department of Forensic Medicines, J.N. Medical College, was taken up in September 1970 against a grant of Rs. 1·24 lakh sanctioned by the University Grants Commission. The block completed at a cost of Rs. 1·17 lakh was handed over to the University Engineer by the contractor in April 1976. The building was made over to the Department of Forensic Medicines by the University Engineer only in October 1979, utilising it as a store during the intervening period of 3½ years. The building could not be utilised as a mortuary even thereafter since the district administration did not so consider (February 1980) it adviseable to shift the mortuary to the Medical College campus in view of the law and order problem.

While the University stated (January 1981) that the matter of utilisation of the building would be reviewed, the building completed in April 1976 at a cost of Rs. 1·17 lakh was still not serving any useful purpose (January 1981).

7·4 Construction of two cycle sheds, car garage and motor ramp in the Medical College was approved by the University Grants Commission in June 1971 at a cost of Rs. 2·51 lakhs. Detailed estimates for Rs. 2·90 lakhs were sent to the Commission in May 1973 and tenders for the work were invited and finalised in October 1975. The Commission whose approval to the lowest accepted tender of Rs. 4·12 lakhs was sought for in February 1978, sanctioned funds for the work in October 1978. The order to start work was issued to the contractor in January 1979.

Meanwhile in December 1978, before the work order was issued, the Medical College hospital authorities pointed out to the University Engineer that the area in which the garage, etc., were proposed to be constructed was lowlying and water logged. Work was, however, started (January 1979) at the same site and in August 1979, an estimate amounting to Rs. 1·71 lakh for levelling of the lowlying area was sent to the Commission who did not approve it on the ground that the contingency could have been foreseen and included in the earlier estimates.

The garage, etc., stated to have been completed in May 1980 at a cost of Rs. 4·88 lakhs, were jointly inspected by the authorities of the Building Department and the Medical College hospital in October 1980. The hospital authorities refused to take over the structures as the garage, etc. could not be of use having been constructed in a low-lying area making these unapproachable. The Commission had so far not sanctioned any amount for levelling of the low-lying area and the structures were lying vacant without any use rendering the entire expenditure of Rs. 4·88 lakhs wasteful.

The University stated (January 1981) that the site was not precisely determined, and there was omission in not anticipating the work of levelling and that the cycle sheds and garage were being used as cement godowns

8. Excess expenditure on staff

The University Grants Commission prescribed in April 1976, an expenditure of Rs. 3,900/- per bed per annum on the basis of which the University could incur expenditure of Rs. 13·65 lakhs on the pay and allowances of the non-teaching and lower subordinate staff engaged in its 350 bed hospital.

However during the last four years 1976-80; the expenditure incurred on the pay and allowances of the staff of the hospital was much in excess of the prescribed norms as detailed below :—

Year	Total expenditure incurred on pay and allowances of staff. (Rupees in lakhs)	Excess expenditure (Rupees in lakhs)
1976—77	25·95	12·30
1977—78	32·21	18·56
1978—79	37·27	23·62
1979—80	40·66	27·01
Total	136·09	81·49

The excess expenditure was due to accrual of increments and grant of additional dearness allowances to the staff as well as increase in staff, mention of which was made in paragraph 4·3 of the Audit Report for 1978-79.

The University stated (January 1981) that the expenditure on establishment was included by the University Grants Commission in the Maintenance grant and was provided on the basis of estimated expenditure on sanctioned staff, that the norm could not hold good for all times and that extra staff was employed on account of additional requirements with sanction of competent authority. However, as mentioned in para 4·3 of the Audit Report for 1978-79, all the posts of staff entertained by the hospital were not approved by the Commission and the University had not at any stage suggested a revision of the norm to the Commission.

9. Other matters of interest

9·1 Mention was made in paragraph 6 of the Audit Report for 1977-78 that on 90 fellowships awarded by the University in excess of the sanction of the University Grants Commission for 100 followships, the University incurred extra expenditure of Rs. 5·67 lakhs during 1977-78. This excess expenditure was met out of the savings from earlier years' grants received from the Commission and not out of University's own sources, as desired by the Commission.

The University continued to incur expenditure on fellowships awarded in excess of the sanction and the extra expenditure of Rs. 12·83 lakhs to end of 1979-80 was met out of the savings from earlier year's grants instead of from University's own resources.

The University stated (January 1981) that the matter was being looked into and was also being taken up with the Commission.

9·2 Books and journals were got printed and published by some departments for sale. No assessment of the saleability of and market for particular books through a proper agency or Committee in consultation with the Publication Division was, however, made with the result that books and journals costing Rs. 6·96 lakhs as detailed in annexures 1 and 2 were lying unsold either with the publishers or the Publication Division.

A publishing house of New Delhi was invited by the University for ascertaining the value and quality of the books stocked with the Publications Division. In the opinion of the publisher the dead stock was of no value.

The University also admitted (January 1981) that the unsold volumes had a limited scope for sales as these were scholarly books.

9·3 Building materials like cement, R.C.C. hume pipes, R.S. Joists, etc. had been loaned to the staff members and other outside bodies after getting the cost at the current issue rate deposited by them in cash as a security for return of the materials.

As cement was a controlled commodity and was very much needed for the construction work of the University itself, its issue on loan to outside bodies was not understandable Moreover, since cost at current issue rate (Rs. 24 per bag), which was far less than the market rate (Rs.41 per bag) was only recovered from the loanees, not a single bag of cement was returned by any of the loanee. out of the 8,157 bags issued on loan during 1978-79 and 1979-80 The University stated (May 1981) that necessary action to get back the loaned material was being initiated.

Sd/-(A.N. Biswas)
Accountant General

Dated 31-7-1981

ANNEXURE 1

Details of books lying unsold as on 31st March, 1980 with the History Department of the Aligarh Muslim University, Aligarh.

Year of publication	Number of titled published	Number of books received	Number of books remaining unsold on 31st March 1980	Cost of unsold books
				(Rupees)
1965	1	980	158	1,580
1966	1	753	75	750
1968	2	1,008	165	1,467
1970	2	2,055	416	3,164
1971	1	1,600	653	6,530
1973	4	4,018	2,463	11,400
1974	2	2,094	794	10,917
1975	1	1,582	986	9,860
1977	5	5,747	4,266	53,622
1978	3	2,517	1,016	22,910
		22,354	10,992	1 22 200

Sd/- (R.N. Gupta)
Accounts Officer

ANNEXURE 2

Details of books lying unsold as on 31st March 1980 with the Publication Division of the Aligarh Muslim University Aligarh.

Year of publication	Number of titles received	Number of books received	Number of books lying unsold as on 31st March 1980	Cost of unsold books
				(Rupees)
1958-59	34	16,978	9,012	30,338·00
1959-60	9	5,707	2,268	21,549·00
1960-61	9	4,439	1,875	17,485·50
1961-62	13	7,007	3,319	29,987·25
1962-63	12	3,856	1,300	6,067·50
1963-64	20	9,277	5,548	59.669·25
1964-65	13	7,110	3,755	16,054·50
1965-66	8	3,3038	1,469	9,028·75
1966-67	6	2,782	1.276	13,762·00
1967-68	4	2,425	1,635	4,886·50
1968-69	7	3,299	1,424	12,022·50
1969-70	8	5,190	2,983	17,321·40
1970-71	4	2,776	1 632	26,158·00
1971-72	8	3,717	2,726	23,491·50
1972-73	3	1,231	913	16,057·50
1973-74	25	10,905	4,641	79 984·50
1974-75	9	3,752	1,486	22,140·60
1975-76	10	5,283	1,392	13 871 70
1976-77	17	6,324	2,307	34,155·75
1977-78	18	4,477	4,029	80,063·00
1978-79	9	1,886	1,662	27,421·00
1979-80	8	476	385	12,170·00
Total	254	1,11,935	57,037	5,73,685·70

Sd/- (R.N. Gupta)
Accounts Officer

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1982